भण्डारण भारती

भण्डारण विशेषांक

अंक–68

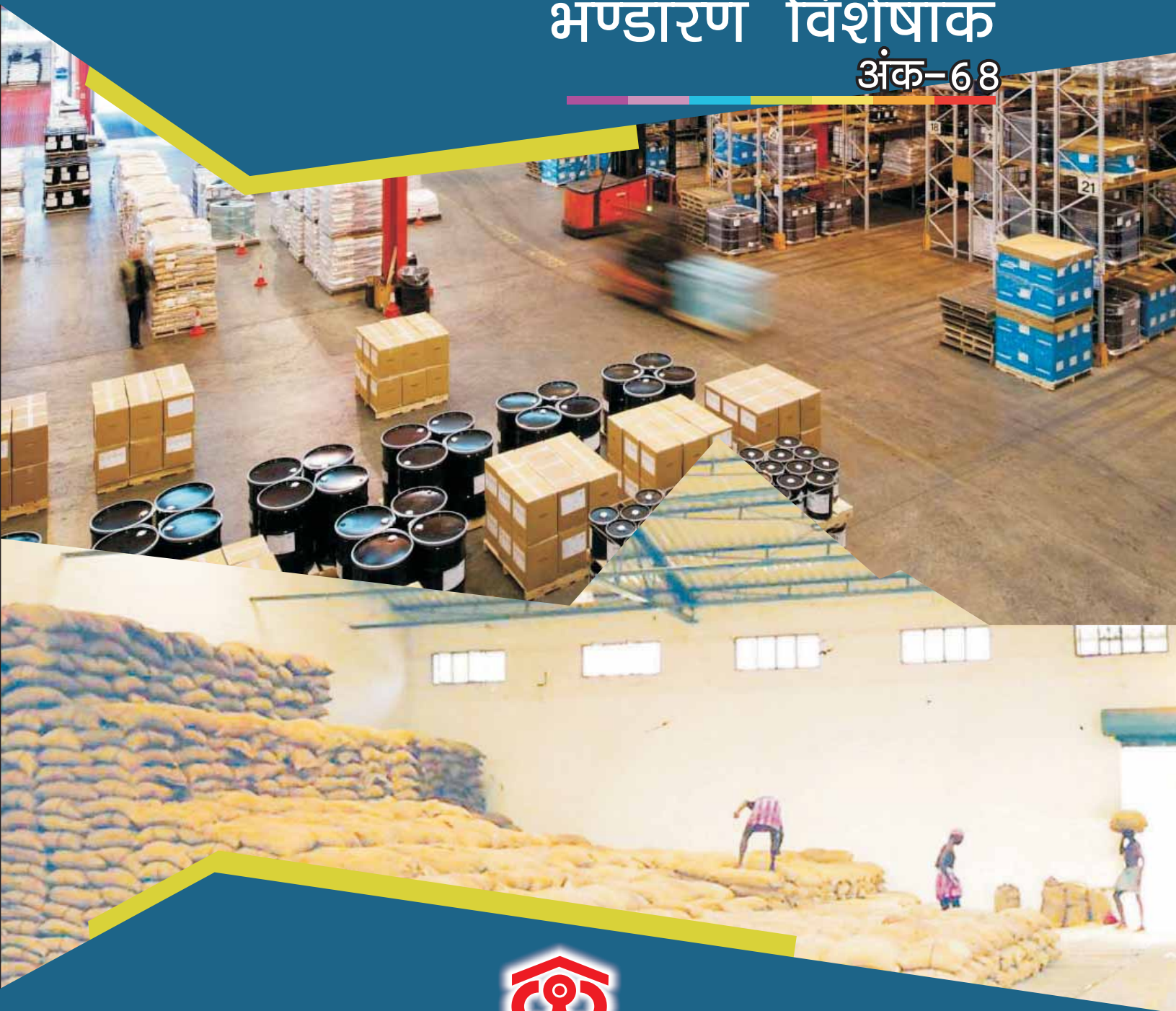

केन्द्रीय भण्डारण निगम

जन जन के लिए भंडारण

केन्द्रीय भण्डारण निगम

लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- वैज्ञानिक भण्डारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भण्डारण, हैण्डलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- बैकिंग संस्थाओं एवं गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भण्डारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैण्डलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी.एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- भण्डारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

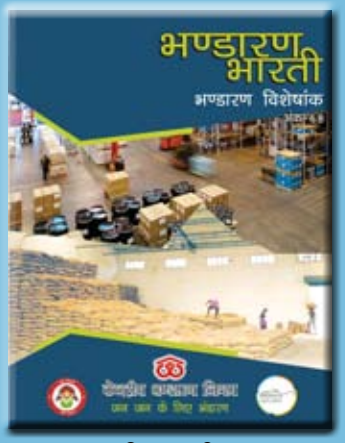

जनवरी-मार्च, 2018

मुख्य संरक्षक
जे.एस. कौशल
प्रबंध निदेशक

परामर्शदाता
अरविन्द चौधरी
समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)

मुख्य संपादक
नम्रता बजाज
प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक
महिमानन्द भट्ट
वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

सहायक संपादक
रेखा दुबे
एस.पी. तिवारी

संपादन सहयोग
नीलम खुराना, विजयपाल सिंह,
शशि बाला

केंद्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली-110016

यह पत्रिका निगम की वेबसाइट
www.cewacor.nic.in
पर भी उपलब्ध है।

मुद्रकः चन्दु प्रैस
डी-97, शकरपुर, दिल्ली-92
दूरभाषः 22526936

भण्डारण भारती

त्रैमासिक पत्रिका अंक-68

विषय		पृष्ठ संख्या
✦	प्रबंध निदेशक की कलम से...	03
✦	स्वागतम्	04
✦	विचारों के झरोखे से...	05
✦	सम्पादकीय	06
आलेख		
○	हमारी सेवाएं- सामान्य जानकारी	07
○	सुरक्षित अन्न : समृद्ध राष्ट्र *-रेखा दुबे*	09
○	वैज्ञानिक भंडारण है जहां... *-महिमानन्द भट्ट*	12
○	स्थापना दिवस की सार्थकता *-डॉ. मीना राजपूत*	14
○	निगम में आंतरिक अंकेक्षण की भूमिका... *-रामसेवक मौर्य*	17
○	समुचित भंडारण नीति : आज की आवश्यकता *-नम्रता बजाज*	19
○	निगम में पैस्ट नियंत्रण सेवाएं *-डॉ. सिद्धार्थ रथ*	25
○	भारतीय किसान की स्थिति, समस्याएं... *-एस.पी. तिवारी*	37
○	देशी फसलें हो रही लुप्त... *-अवनीश प्रकाश*	41
क्षेत्रीय कार्यालय-एक परिचय		
➢	क्षेत्रीय कार्यालय-पंचकुला एवं कोच्चि	22
कविताएं		
✪	*हे नारी- तुझे मेरा नमन है -सागरिका दत्ता*	16
✪	भंडारण *-सच्चिदानंद राय*	16
✪	*गौरैया -बंश नारायण*	39
साहित्यिकी		
▸	गिरगिट का सपना *-मोहन राकेश*	30
विविध		
▲	बसंत पंचमी - एक उल्लास पर्व *-अरविन्द चौधरी*	10
▲	अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः... *-राकेश सिंह परस्ते*	28
▲	केन्द्रीय भंडारण निगम में पैंतीस... *-देवकी वी. चतुरानी*	33
▲	जल जीवन या संकट *-प्रदीप कुमार साव*	35
▲	बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर... *-नन्हेलाल*	40
अन्य गतिविधियां		
✶	सचित्र गतिविधियां	43
✶	खेल समाचार *-राजीव विनायक*	50

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। निगम का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता के लिए भी संबंधित लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के बारे में...

1. कृषि उत्पाद (विकास एवं वेअरहाउसिंग) कॉरपोरेशन अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित। बाद में यह अधिनियम निरस्त कर दिया तथा इसके स्थान पर वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 पारित किया गया।
2. अनुसूची 'क' का मिनी रत्न श्रेणी-1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
3. वेअरहाउसों में स्टॉक ले जाने एवं लाने के लिए रख-रखाव एवं परिवहन की सुविधाएं प्रदान करना।
4. आयात-निर्यात व्यापार के लिए आधारभूत सुविधाएं सृजित करना।
5. स्टॉक के क्रय, विक्रय, भंडारण एवं वितरण के लिए सरकार/कम्पनियों/निगमित निकायों के एजेंट के रूप में कार्य करना।
6. वेअरहाउसों के बाहर कीटनाशन तथा पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करना। संबंधित क्षेत्रों में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना।
7. कंटेनर गाड़ियां ऑपरेट करने के लिए श्रेणी-1 अखिल भारतीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त है।
8. एक अलग सहायक कम्पनी अर्थात् सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) की 2007 में स्थापना।
9. लैण्ड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अटारी (पंजाब) में एकीकृत चैक पोस्ट के कार्गो टर्मिनल का प्रचालन।
10. लैण्ड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित भारत-बंग्लादेश सीमा पर अगरतला (आईसीपी) कार्गो टर्मिनल का प्रचालन।
11. कीटनाशन एवं पैस्ट नियंत्रण में निर्यात कार्गो का प्रीशिपमैंट प्रधूमन, जहाज में प्रधूमन, कंटेनर प्रधूमन, रेल के डिब्बों में कीटनाशन, हवाई जहाज कीटनाशन, निर्माण से पूर्व एवं पश्चात दीमकरोधी उपचार, औद्योगिक कैंटीनों का कीटनाशन, अस्पतालों, होटलों एवं अन्य परिसरों का कीटनाशन आदि गतिविधियां शामिल हैं।
12. भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए औद्योगिक वेअरहाउसिंग में प्री-फैब गोदाम तथा एजबैस्टस शीट के स्थान पर प्री-पेन्टेड, पोली कोटेड गॉलवाल्यूम शीट्स द्वारा नई तकनीक को अपनाना।
13. महानगरों में परम्परागत गोदामों के स्थान पर बहुमंजिला वेअरहाउसों का निर्माण।
14. निगम अंशधारियों को निरन्तर लाभांश का भुगतान कर रहा है। सरकार से किसी प्रकार की बजटीय सहायता के बिना आंतरिक संसाधनों से अपने सभी प्रचालनों/विस्तार कार्यक्रमों को चलाना।

- किसानों को उनके उत्पाद के लिए भंडारण शुल्कों में 30 प्रतिशत छूट।
- दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्र में वेअरहाउस स्थापित करना।
- अपनी किसान विस्तार सेवा योजना के अधीन वैज्ञानिक भण्डारण तकनीकों में किसानों को प्रशिक्षण देना।

प्रबंध निदेशक की कलम से...

निगम के लिए यह गौरव की बात है कि **भंडारण भारती** का यह अंक **भंडारण विशेषांक** के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें भंडारण की विभिन्न गतिविधियों सहित **स्थापना दिवस** के कार्यक्रमों की झलकियाँ प्रमुखता के साथ प्रकाशित की जा रही हैं। यह खुशी का विषय है कि इस पत्रिका का निरंतर सफल प्रकाशन किया जा रहा है और इससे निगम को एक नई पहचान मिल रही है।

निगम गत कुछ वर्षों से अपनी कार्यप्रणाली और गतिविधियों को उजागर करते हुए स्थापना दिवस का आयोजन कर रहा है। स्थापना दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिक भंडारण की दिशा में किए गए अब तक के कार्यों की समीक्षा एवं भविष्य की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नई पहल सुनिश्चित करना है। जैसा कि विदित है कि हमारा निगम खाद्यान्नों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। निश्चित रूप से खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण द्वारा किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। किसानों के अतिरिक्त निगम अपने विभिन्न ग्राहकों को अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ ही भंडारण के दौरान क्षति को कम करने तथा डब्ल्यूडीआरए की नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद प्रणाली के माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान कराकर देश की समृद्धि में योगदान दे रहा है। निगम अपने संसाधनों द्वारा क्षमता बढ़ाने के लिए स्वयं ही प्रयासरत है और सरकार से किसी बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं है तथा अपने मुख्य व्यवसाय वैज्ञानिक भंडारण के अलावा निगमित सामाजिक दायित्व जैसे क्षेत्रों में भी अपने दायित्वों को भली–भांति पूरा कर रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है और उपयोगी सुझाव दिए जाते हैं तथा राजभाषा में अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए **प्रत्येक तिमाही पूर्ण दिवसीय कार्यशाला** का आयोजन किया जाता है। निगमित कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारियों, अनुवादकों एवं राजभाषा से जुड़े कार्मिकों के लिए हर वर्ष **प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया जाता है। निगम को प्रत्येक वर्ष मंत्रालय स्तर पर राजभाषा में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए पुरस्कृत किया जाना भी हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निगम के कार्मिकों की लेखन प्रतिभा को उजागर करने तथा विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के उद्देश्य से वर्ष में भंडारण भारती पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किए जाते हैं जिसमें से एक भंडारण विशेषांक तथा एक राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका को प्रत्येक वर्ष नराकास द्वारा **श्रेष्ठ पत्रिका** का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरकारी कामकाज में अनुवाद के महत्व को देखते हुए परिपत्रों के अलावा वार्षिक रिपोर्ट, प्रशिक्षण कलैंडर, एमओयू आदि को द्विभाषी प्रकाशित किया जाता है।

निगम देश की प्रमुख भंडारण एजेंसी है और तेजी से बदलती आवश्यकताओं एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ–साथ निगम की सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाना होगा ताकि हम प्रत्येक चुनौतियों के साथ कार्य करने के लिए अधिक सक्षम एवं जागरूक हो सकें।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों से भंडारण के क्षेत्र में हमारा निगम सदैव प्रतिष्ठित संस्थान बना रहेगा और इस पत्रिका के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को भंडारण के बारे में महत्वपूर्ण एवं नई जानकारी मिलती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित!

(जे.एस. कौशल)
प्रबंध निदेशक

स्वागतम्

केन्द्रीय भंडारण निगम, निदेशक (वित्त) के पद पर दिनांक 15.03.2018 को कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सावरी मुत्थु चार्ल्स का हार्दिक अभिनन्दन करता है। आप विज्ञान विषय में स्नातक हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिपब्रोकर (लंदन) के सदस्य हैं। आपने मिनरल एंड मैटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया। आपको वित्त, लेखा, ऑडिट, कराधान, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस), मानव संसाधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का बहुआयामी अनुभव प्राप्त है। केन्द्रीय भंडारण निगम में नियुक्ति से पूर्व आपने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में तीन वर्षों से अधिक समय तक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया।

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि श्री सावरी मुत्थु चार्ल्स द्वारा विभिन्न कार्यालयों में किए गए कार्य के गहन अनुभव का पूरा लाभ निगम को प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन में निगम वित्त के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

केन्द्रीय भंडारण निगम परिवार निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार संभालने के लिए उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता है।

विचारों के झरोखे से...

इस तिमाही में नववर्ष के आगमन से एवं ऋतु परिवर्तन के साथ केन्द्रीय भंडारण निगम में स्थापना दिवस का भी आयोजन किया गया। जनवरी से मार्च तक के तीन महीने त्यौहारों द्वारा काफी उत्साहवर्धक रहे जिसमें लोहड़ी, मकर संक्रान्ति और होली प्रमुख थे। इनके अलावा हमारे राष्ट्र के संविधान की नींव से जुड़ा गणतंत्र दिवस भी रहा जिसको निगम के प्रत्येक कार्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कर सम्पन्न किया गया।

इस तिमाही का प्रारंभ एक जनवरी से हुआ जो कि ग्रीगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, जिसे ईस्वी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तिमाही में हिंदु परंपरा के अनुसार विक्रमी कैलेन्डर की शुरूआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुई जिसे संवत्सर कहा जाता है। कहते हैं कि इसी दिन के सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की।

संवत्सर नाम कालचक्र का है। एक वर्ष की अवधि का नाम संवत्सर है। ऋतु क्रम से गति करने वाला होने से वर्ष संवत्सर कहलाता है। संवत्सर का अर्थ है– सम–वस–सरण = भली–भांति बसते हैं, जिस काल खंड में ऋतु, अयन, मास, पक्ष, वार, रात, दिन, छठी, पल आदि।

भारतीय ऋषियों ने सूर्य के साथ–साथ चन्द्रमा के अनुसार भी कालगणना की है। यद्यपि काल की गति अनादि और अनन्त है तो भी मान्य है कि भारतीय विद्वानों ने वेदों के आधार पर (ऋग्वेद 10:90.6 और यजुर्वेद 13.25) काल खंडों की सटीक गणना की है। "ऋतवो यत्र स संवत्सर" ऋतुओं की चर्चा के समय सबसे पहले बसन्त ऋतु का उल्लेख मिलता है और समाप्ति शिशिर में होना वेद सम्मत है। तिथियां स्थिर और संक्रान्ति परिवर्तनशील होने के कारण विद्वानों ने विशुवत मेष संक्रान्ति को छोड़कर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सृष्टि संवत की शुरूआत मानी है और यहीं से नववर्ष का प्रारंभ मान्य है। विक्रमी संवत के मासों (महीनों) के नाम आकाशीय नक्षत्रों के उदय और अस्त होने के आधार पर रखे गए हैं। यह बात तिथियों पर लागू होती है। ये चन्द्रमा और सूर्य की गति पर आधारित हैं।

संवत्सर की परिकल्पना आर्यों की दीर्घ साधना से प्राप्त ज्ञान, कर्म और उपासना से भी जुड़ी है। महाभारत [शान्ति पर्व (299)] में कहा है– "तुम्हें ये गुप्त रहस्य की बात बताए जा रहा हूं, मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मनुष्य ही महान है।" मनुष्य जगत के कठिन से कठिन प्रश्नों का अपनी कल्याण बुद्धि द्वारा समाधान करता चला आ रहा है जो समाज की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

हमारा नववर्ष आकर घोषणा कर जाता है कि स्वार्थों के संघर्ष क्षणिक हैं। आपसी विश्वास की रेखाएं मनुष्य को मनुष्य से सदा संजोना चाहती हैं। परमात्मा की बनाई इस सुन्दर धरती पर हम सब मिलकर रहें। हमारे विचार समान हों। शुद्ध मन और आत्मा से हम सब एक–दूसरे को प्रेम से स्वीकार करें। इस धरती का अभिनन्दन करें। इसे सम्पूर्ण और सुखमय बनाएं।

इस तिमाही में केन्द्रीय भंडारण निगम ने अपना 62वां स्थापना दिवस मार्च में पूरे देशभर में अत्यन्त धूमधाम से मनाया जिसमें अनेक गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया। इस प्रकार निगम अपने स्थापना दिवस को याद कर इन वर्षों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है और भावी योजनाओं को तैयार भी करता है।

हम सभी अपने निगम के ऋणी हैं क्योंकि इसी निगम ने हमें तथा हमारे परिवार के लिए एक मजबूत आधारशिला भी दी। आज हमारे बच्चे बड़े–बड़े पदों पर आसीन हुए हैं तथा उनमें से कुछ विदेशों को भी चले गए हैं। यह सब हमारे निगम की बदौलत ही संभव हुआ है। इसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। किन्तु, यदि हमें इसका ऋण चुकाना है तो इसका एक ही तरीका है कि हम निगम को जो भी सेवाएं दे रहे हैं, समर्पण भाव से दें ताकि निगम और भी अधिक उन्नति करते हुए उच्च शिखर पर आसीन हो सके।

(अरविन्द चौधरी)
समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)

संपादकीय

निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही प्रकाशित की जा रही **भंडारण भारती** पत्रिका का यह अंक **'भंडारण विशेषांक'** के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस विशेषांक के नाम से ही स्पष्ट है कि यह अंक मुख्यतः भंडारण से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। हमारा निगम देश की सबसे बड़ी भंडारण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और यह अपने लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हुए भंडारण जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस पत्रिका के माध्यम से प्रयास किया गया है कि निगम की सेवाएं दूर–दराज क्षेत्रों में इसके पाठकों तक पहुंचे और विभिन्न ग्राहकों सहित किसानों को निगम की सामान्य जानकारी प्रदान की जा सके। सबसे महत्वूपर्ण बात यह है कि निगम के देशभर में स्थित कार्यालयों के विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनके अपने अनुभव के आधार पर **भंडारण से संबंधित विषयों पर** दिए गए लेख इस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं जिससे **गृह–पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य** भी पूर्ण होता है।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारा निगम गत कई वर्षों से **स्थापना दिवस** का आयोजन कर रहा है। इस पत्रिका में निगमित कार्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित स्थापना दिवस की झलकियां फोटोग्राफ के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि पाठकों से पत्रिका के बारे में समय–समय पर प्रतिक्रिया मिलती रहती है जिसके आधार पर इसमें वांछित सुधार और निखार लाने का प्रयास निरंतर जारी है जिसके परिणामस्वरूप इस पत्रिका का **श्रेष्ठ गृह–पत्रिका** से सम्मानित होना निगम के लिए गौरव की बात है।

भंडारण तथा राजभाषा की उत्तरोत्तर उन्नति एवं विभिन्न पाठकों को आपस में जोड़ने के लिए यह पत्रिका सदैव नए रूप में प्रकाशित करना हमारी प्राथमिकता रही है। हमें आशा है कि भंडारण भारती के आगामी अंकों में भी आप सभी का अमूल्य सहयोग मिलता रहेगा।

(नम्रता बजाज)
मुख्य संपादक

हमारी सेवाएं– सामान्य जानकारी

केन्द्रीय भंडारण निगम सार्वजनिक भंडारण के क्षेत्र में देश की प्रमुख भंडारण एजेंसी है। निगम अपने जमाकर्ताओं को बहुमूल्य सेवाएँ प्रदान करता है जिसमें से कुछ सेवाओं की सामान्य जानकारी निम्नलिखित है:–

1. भंडारण

400 से भी अधिक वस्तुएं जिनमें कृषि उत्पाद, औद्योगिक कच्चा माल, तैयार सामान तथा विभिन्न आर्द्रताग्राही एवं जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं शामिल हैं, के लिए वैज्ञानिक भण्डारण एवं हैण्डलिंग – सेवाएं।

- भारत में 433 वेअरहाउस के नेटवर्क एवं अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा आर्द्रताग्राही एवं जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं सहित 200 से भी अधिक वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं।
- पोर्टो एवं अन्तर्देशीय स्थानों में अपने 30 कंटेनर फ्रेट स्टेशनों पर आयात एवं निर्यात वेअरहाउसिंग सुविधाएं।
- बांडेड वेअरहाउसिंग सुविधाएं
- कीटनाशक सेवाएं
- आइ.एस.ओ की हैण्डलिंग, ट्रांसपोर्टेशन कंटेनरं एवं स्टोरज।

2. आईसीडी/सीएफएस पर सेवाएँ

निर्यात	आयात
निर्यात कार्गो की प्राप्ति	आयातित कंटेनरों का पोर्ट से संचालन
इन–हाउस कस्टम जांच	एलसीएल एवं एफसीएल कंटेनरों को खाली करना
निर्यात कार्गों संग्रह एवं भंडारण	कस्टम जांच
कंटेनरों एवं निर्यात कार्गों का प्रीशिपमैंट कीटनाशन	बॉण्डेड वेअरहाउसिंग सुविधाएं
कस्टम की देख–रेख में कार्गों रखना	

3. बॉण्डेड वेअरहाउस

निगम लगभग 0.42 मिलियन मी.टन क्षमता वाले 66 कस्टम बॉण्डेड वेअरहाउस चला रहा है। निर्यात करने वाली इकाईयों एवं उद्यमियों को न्यूनतम निवेश पर अपना कारोबार चलाने और कस्टम डयूटी की आस्थागित अदायगी की सुविधा देने के उद्देश्य से कस्टम बॉण्डेड वेअरहाउसिंग की संकल्पना को विकसित किया गया है।

ये बॉण्डेड वेअरहाउस प्रेषण स्थानों से वस्तुओं को सुचारू रूप से लाने–लेजाने के लिए पूरे देश में पोर्ट नगरों से अच्छी तरह जुड़े स्थानों पर स्थित हैं।

4. एअरकार्गो कॉम्पलैक्स

केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी गतिविधियों में विस्तार करते हुए एअरकार्गो कॉम्पलैक्सों के प्रचालन में भी शामिल है जो मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के रूप में सम्पूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रमुख कदम है ।

निगम अमृतसर, गोवा, सिंग्नालूर तथा विरुगंबक्कम के अंतरराष्ट्रीय वायुपत्तनों पर तीन एअरकार्गो कॉम्पलैक्स चला रहा है। इसके अतिरिक्त, यह निगम नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अकम्पनीड/मिसहैंडल्ड कार्गो के लिए वेअरहाउस भी चला रहा है।

5. कंटेनर ट्रेन परिचालन

अखिल भारतीय आधार पर कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेल से श्रेणी–। लाइसेंस प्राप्त कर निगम वर्तमान में लोनी (दिल्ली)– जे.एन.पोर्ट (नवी मुम्बई) तथा लोनी–मुन्द्रा के बीच आयात– निर्यात कंटेनरों के परिवहन हेतु कंटेनर ट्रेन परिचालित कर रहा है। केन्द्रीय भण्डारण निगम इन सेक्टरों पर लगभग 300 ट्रेन परिचालित कर रहा है तथा वर्ष में लगभग 26,000 टीईयू हैण्डल करता है। यह लोनी और कालम्बोली (नवी मुम्बई) में पी.पी. मॉडल पर कंटेनर रेल टर्मिनल्स भी संचालित कर रहा है।

इन टर्मिनलों का उपयोग अन्य ट्रेन परिचालकों द्वारा भी सामान्य उपभोक्ता सुविधा के रूप में किया जा रहा है।

6. एकीकृत चौकी टर्मिनल

केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत–बांग्लादेश सीमा में पैट्रापोल (पश्चिम बंगाल) पर बांग्लादेश के साथ सड़क मार्ग से आयात/निर्यात व्यापार करने हेतु सपोर्ट सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटिड ट्रक टर्मिनल संचालित कर रहा है।

यह टर्मिनल 17.08 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें ट्रकों के लिए पार्किंग, तोल, भंडारण, कस्टम निरीक्षण इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है।

7. पैस्ट नियंत्रण सेवा

भारत सरकार के दिनांक 23 मार्च, 1968 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम को अपने वेअरहाउसों के अतिरिक्त पीड़क जंतु नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम क्यूएमएस, ईएमएस एवं ओएचएसएएस के तहत आईएसओ प्रमाणित है।

पैस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र

1. सामान्य विसंक्रमण सेवाः– घरों, होटलों, अस्पतालों, कॉर्पोरेट हाउसों, संस्थानों इत्यादि में घरेलू कीड़ों, पीड़क जंतु और कृतकों के नियंत्रण के लिए छिड़काव, बैटिंग, फोगिंग, झाड़–पोंछ का कार्य।
2. प्रधूमन सेवाः– गोदामों, मिलों, वायुयानों, जहाजों, आयात–निर्यात कंटेनरों में घरेलू और संगरोध उद्देश्यों के लिए कीटों, पीड़क जंतु और अन्य पीड़क जंतुओं को नियंत्रित करने के लिए विशाक्त धुएं को छोड़ना।
3. दीमक रोधी उपचारः– बिल्डिंग, टिम्बर के पास, लकड़ी के फर्नीचर एवं फिक्सचर के उपचार हेतु दीमक को नियंत्रित करने के लिए निर्माण से पूर्व एवं पश्चात् उपचार।
4. अपतृण और रोगानुवाहक प्रबंधनः– नगर निगम, खुले क्षेत्रों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों, जलाशयों के लिए एकीकृत हानिकारक पीड़क जंतु प्रबंधन नीति के माध्यम से जड़ी–बूटियों और बीमारी पैदा करने वाले जीवों का प्रबंधन कार्य।

5. कीटाणुनाशनः– बेकरी, रसोई, प्रयोगशाला इत्यादि में सूक्ष्म जीव संक्रमण रोधी उपचार।

8. किसान विस्तार सेवा योजना

खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण एवं फसलोपरान्त होने वाली हानि को कम करने संबंधी प्रौद्योगिकी से किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम ने 1978–79 में किसान विस्तार सेवा योजना की शुरूआत की जिसके तहत वेअरहाउसों पर तकनीकी स्टाफ नियुक्त किया गया है जो आसपास के गाँवों में जाकर फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में यह योजना गाँव स्थित 305 वेअरहाउसों में चल रही है। इसके अतिरिक्त किसानों को सार्वजनिक वेअरहाउसिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए निगम किसानों को उनके स्टॉक के भंडारण प्रभारों पर 30 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। वेअरहाउस रसीद जिसे नैगोशिएबल रसीद कहते हैं, किसानों को जारी की जाती है जिसके आधार पर किसान संकट के समय फसल की बिक्री से बचने हेतु वेअरहाउस रसीद को गिरवी रखकर ऋण ले सकता है।

इस प्रकार यह निगम अपनी अनेक वेअरहाउसिंग सुविधाएँ देकर देश की अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान दे रहा है।

सुरक्षित अन्न : समृद्ध राष्ट्र

रेखा दुबे*

जीवन के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार अन्न है जिसे सुरक्षित रख कर किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा सकती है। खाद्यान्न का सुरक्षित न रहना किसी भी राष्ट्र में अनेकों समस्याएं उत्पन्न कर उसे पतन के कगार पर खड़ा कर सकता है। चूंकि मानव सृष्टि की अनमोल रचना है, अतः उसके जीवन–यापन के लिए अन्न के प्रत्येक कण को सुरक्षित रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

जब हमारी सभ्यता विकसित नहीं हुई थी तो मानव पशुओं की भांति ही अपना जीवन–यापन करता था। न तन ढकने, न अन्न की चिंता। तन ढकने के लिए वृक्ष के पत्ते काम आते थे और भूख के लिए पशु पक्षियों का शिकार। उस समय उसे आग जलाना भी नहीं आता था। वो शिकार करता, अपनी भूख मिटाता और शेष मांस वही फेंक देता था। लेकिन अगले दिन फिर शिकार की चिंता। मेरी सोच है कि शायद इस चिंता ने ही भंडारण की संकल्पना को जन्म दिया होगा। उसे धीरे–धीरे एहसास हुआ होगा कि जो बचा–खुचा मांस वह फेंक देता है उसे अगले दिन के लिए रखा जा सकता है। हमारी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती हैं। धीरे–धीरे पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाई गई। उस पर भोजन पकाया जाने लगा। फिर मानव जंगल से फल, वनस्पति एवं सब्जियों के संपर्क में आया। जीवन में स्थिरता लाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। प्राकृतिक आपदाओं और उसमें पदार्थों की अनुपलब्धता ने मानव को इस बात के लिए विवश किया कि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण किया जाए। पहले गड्ढों, टोकरों और मिट्टी के बर्तनों से यह प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इसमें बदलता मौसम बाधा उत्पन्न करता था।

कृषि और व्यापार की संकल्पना ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। शुरू–शुरू में बाजार सप्ताह में एक बार लगता था जहां खरीद–फरोख्त होती थी। माल को खराब मौसम से बचाने के लिए मंडियों में ही हॉल बनाए जाते थे, जहां माल रखा जाता था। हमारी आजादी के बाद देश के सामने खाद्य सुरक्षा एक गंभीर समस्या थी और इसलिए अनाज के भंडारण की आवश्यकता महसूस की गई। इसी समस्या के निराकरण के लिए कई एजेंसियां बनी और 1957 में संसद के अधिनियम के अधीन देश की भंडारण एजेंसी के रूप में केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई। निगम ने किराए के गोदामों से अपना वैज्ञानिक भंडारण का कार्य शुरू किया। प्रारंभ में हर नई शुरूआत को सफलता का सेहरा नहीं मिलता। केंद्रीय भंडारण निगम एवं राज्य भंडारण निगम की स्थापना के बाद यह संभव हो पाया कि कृषि उत्पादों को बर्बादी और क्षतिग्रस्तता से इस प्रकार बचाया जाए कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी बनी रहे और कीटों से भी उनको सुरक्षित रखा जा सके। भंडारगृहों में स्टॉक को तोला जाता है और स्टॉक की ग्रेडिंग और सेम्पल रखने के उपरांत उनका वैज्ञानिक ढंग से भंडारण किया जाता है। भंडारगृहों में सबसे उत्तम तरीका जो खाद्यानों के उपचार के लिए अपनाया जा रहा है वह है प्रधूमीकरण। प्रधूमन के द्वारा खाद्यान्नों को रासायनिक धुएँ के संपर्क में रखा जाता है ताकि खाद्यान्न में मौजूद बैक्टीरिया का नाश हो सके और भविष्य में खराबी की संभावना भी न रहे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इतने बड़े उत्पाद के रख–रखाव, संग्रह तथा परिवहन के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर खाद्यान्न में होने वाले नुकसान को रोकना आज की सबसे बड़ी समस्या है। निगम द्वारा गांव–गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और किसानों को अन्न के सुरक्षित भंडारण की जानकारी दी जाती है। निगम राष्ट्र की समृद्धि हेतु प्रयासरत एवं कार्यरत है, लेकिन यह प्रत्येक मानव की जिम्मेदारी है कि अन्न के एक–एक दाने के महत्व को समझे और अन्न की बर्बादी न करे ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अपनी समृद्धि के साथ–साथ हम राष्ट्रहित का भी सोचें। देश की सारी समस्याएं प्रत्येक नागरिक की हैं इसलिए हर कार्य सरकार, निगम या सरकारी एजेंसियां ही करें, यह सोच बदलनी होगी। अपने घर के साथ–साथ अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिश जरूरी है क्योंकि–

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती
और कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती।।

खाद्यान्न का सीधा संबंध हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। अतः इसका संरक्षण हमें आने वाले कल के लिए चिंतामुक्त करेगा। हम चाहते हैं कि किसान अन्न उपजाएं, सुरक्षित रखें तथा खुशहाल बने। आइए हम सभी निगम की प्रतिबद्धता में अपना योगदान दें और वैज्ञानिक भंडारण कर देश को खाद्य समस्या से मुक्त करें तथा राष्ट्र की प्रगति का संकल्प लें।

* सहायक प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

बसंत पंचमी – एक उल्लास पर्व

अरविन्द चौधरी*

गेहूँ की बाली ने कहा,
पीली सरसों से देख,
आज पवन मुस्करा रही है,
लगता है ऋतु बसंती आ रही है ।

''यथा पिण्डे तथा बह्माण्डे'' के सिद्धान्त के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मौसम के अनुरूप हम बदलते हैं– सर्दी में सिकुड़ना, गर्मी में फैलाव, वर्षा में दबाव और बसंत में खिलाव। पूरे वर्ष हम कैसे भी रहे किन्तु बसंत में खिलना निश्चित है। इसलिए बसंत को ''ऋतुराज'' का दर्जा भी दिया गया है।

बसंत पंचमी पड़ती है माघ सुदि पंचमी को और बसंत के महीने हैं– फागुन और चैत्र, जिन्हें मधु और माधव नाम से भी स्मरण करते हैं। दस दिन पहले ही इंतजार शुरू हो जाता है रंगो का, सुगन्ध का, सौंदर्य का। फागुन की नई–नई फागुनी हवा और फिर चैत्र में बरसते फूलों का। सूती वस्त्र रंग दिए जाते हैं, बसंती रंग में! कोयल की कूक, मधुप गुंजार, ऋतु को संगीत से भर देती है।

शिशिर के गर्भ में ही बसंत का विकास होना शुरू हो जाता है। बसंत का अर्थ है–'वसनीय'। सृष्टि को वसनीय (वसने के, रहने के योग्य) बनाने के लिए उसमें समस्त औषधि, वनस्पति आदि का पूर्ण विकास होना आवश्यक होता है। विकास की इस अवस्था में प्रकृति ऊपर से निराश दिखाई देती हुई भी अपने अंतर में शिशिर के रूप में भविष्य की मधुरता व स्वर्णिम आशा लिए हुए रहती है।

सृष्टि का पूर्ण विकसित रूप प्रगट होते ही वृक्षों पर नवपल्लव गेहूँ की बालियाँ, कोयल की कूक कह जाती है– ''लो मधुमास आ गया। स्वागत करो इसका।''

श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि– ''ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, और हूँ भी क्यों न?'' शरद ऋतु–सी कांति, चन्द्रमा–सा सौंदर्य, सुनहरी पीली बालियों की मुस्कान, निर विकास सौदर्य से पूर्ण उज्ज्वल नयनों का प्रकाश– उस नन्द नन्दन के स्पर्श हैं जो कहते हैं– देखो! मैं बसंत के रूप में कैद में बन्द प्राणियों को मुक्त करने आया हूँ। बन्द दरवाजों, अग्नि की तापों और कपड़ों के बोझ को छोड़ अपने खोल से बाहर निकलो– खुलने के लिए, दूसरों के लिए खिलने के लिए।

सच में बसंत उनके लिए है जिनकी आंखे खुली हैं, यज्ञ, याग, पूजा, पाठ, धर्म, कर्म, इसलिए हैं कि हम बंधनों से मुक्ति पा लें। इसीलिए इस ऋतु के साथ ही ज्ञान, कर्म, उपासना के तीन धागों में बंध कर विद्वान अपने तेज से आत्मा में शक्ति का और पवित्रता का आह्वान करते हैं।

* समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

पवित्रता का आधान होता है सर्वप्रथम बाह्य शुद्धि से। शरीर, घर, ग्राम, गली मुहल्ला, नगर, भूमि, अन्न, जल, जंगल, नदी, पर्वत, पवन, आकाश की शुद्धि– जो पवित्र विचारों और प्रकृति के रक्षण से सम्भव है।

पवित्र विचारों के लिए मन और बुद्धि की पवित्रता होती है, द्वेष ईर्ष्या से रहित होकर सत्य की साधना से। संयम से और शिव संकल्प और शिव कर्म से चित्त पावन होता है। बसंत ऋतु का संदेश ही है पवित्रता, स्वतंत्रता और आह्लाद।

प्रभु ने सृष्टि की रचना जीवों की उन्नति के लिए की है। ईश्वर के नियमों का पालन करते हुए स्वयं को समाज और राष्ट्र को सुखी और आनंदित बनाते हुए परम सत्ता की ओर लौटना है। प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ–कुछ विशेष गुण को धारण कर आगे बढ़ना है।

बसंत के आगमन पर मॉ सरस्वती (शारदे) की पूजा भी की जाती है। इसीलिए इस ऋतु का सीधा संबंध मनुष्य की ज्ञान और चेतना से भी है। जहाँ बाहर के वातावरण को बसंत अपनी फूलों की खूशबु और रंगों से भर देता है वहाँ सरस्वती हमारे अंतस को ज्ञान के प्रकाश से ओत–प्रोत कर देती है।

मुरझाने के कारण तो कई होंगे,
जीवन में,
पर जिसे खिलना है,
वासंती हवाओं में
मेरे साथ उड़े ।

थोड़ा–थोड़ा समझ में आने लगा है कि बसंत आता नहीं, ले आया जाता है, जो चाहे वह अपने जीवन में मधुमास खिला सकता है। पृथ्वी से निकलता पहला अंकुर बताता है कि फूल खिलेंगे बस 'अपने' से बाहर निकलना है अंकुर की तरह, फिर कुछ विकसित होने लगता है, अन्तर में पुष्प की तरह और तब किसी की मुस्कान बनने को जी चाहता है। नव पल्लव बनकर किसी की खुशियों में उसके वंदनवार बन जाने को जी चाहने लगता है।

यदि आज की फिजा को बदलना है तो अपने विचारों में हरियाली लाएं। सबके जीवन को रंग, सुगन्ध और माधुर्य से भर दें। इस प्रकार हमारा इस संसार में आना मधुर हो, जीवन मधु से युक्त हो और जाना भी माधुर्यपूर्ण हो। सुहानी ऋतु का स्वागत करें यही हमारा सुहावनापन है।

वेअरहाउसों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करना आवश्यक है:

- वेअरहाउस में भंडारित की जाने वाली विभिन्न वस्तुएं भंडारण योग्य होनी चाहिए।
- वेअरहाउस को भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए।
- वेअरहाउस को तौल, हैंडलिंग, सैम्पलिंग, ग्रेडिंग, अग्निशमन, पैस्ट नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपकरणों एवं उपस्करों से सुसज्जित होना चाहिए।
- वैज्ञानिक भंडारण के लिए विशेषज्ञता और ज्ञान रखने वाले पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए।
- वेअरहाउस में सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए।
- उपर्युक्त के अलावा प्राधिकारी उन अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझें।

वैज्ञानिक भंडारण है जहाँ खुशहाली है वहाँ

महिमानन्द भट्ट*

वैज्ञानिक भंडारण पद्धति के अनुसार खाद्यान्नों का रखरखाव ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक है। निसंदेह मानव जीवन के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार खाद्यान्न है जिसे उचित भंडारण पद्धति से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के निर्धारण में कृषि का एक प्रमुख स्थान है। कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन के साथ–साथ अन्य उत्पादनों का संरक्षण एवं संचय करना समृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है।

भंडारण एक ऐसी गतिविधि है जो कृषि व्यापार तथा उद्योग के विकास से निकटता से जुड़ी हुई है। भंडारण प्रणाली सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण प्रत्येक प्राणी की आवश्यकता है, अतः समय की मांग के अनुसार **खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना तथा बेहतर पोषण प्रदान करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है।** इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक भंडारण की आधारभूत सुविधाएं होना अत्यंत आवश्यक है। उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वैज्ञानिक भंडारण पद्धति ही एक अच्छा माध्यम है।

खाद्यान्नों का संरक्षण करना एक प्रकार का उत्पादन है क्योंकि अनाज का एक दाना बचाना एक दाना उगाने के समान है। इस प्रकार अनाज का सुरक्षित भंडारण करके एक तरह से अनाज का उत्पादन बढ़ाना है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। आज भंडारण की व्यवस्था मात्र कृषि उत्पादों के भंडारण तक सीमित नहीं है बल्कि औद्योगिक उत्पाद, कच्चे पदार्थ आदि जैसे उर्वरक कृषि यंत्र मशीनें, कपड़ा, रुई, गुड़, सीमेंट, कागज आदि वस्तुओं का भंडारण भी इसमें शामिल है। इन पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने से यह वस्तुएं समय पर उपयोग हेतु आसानी से मिल जाती हैं और उत्पादकों को उसका उचित मूल्य भी मिल जाता है। इस व्यवस्था ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को भी सुदृढ़ एवं सफल बनाया है।

वैज्ञानिक भंडारण का कार्य आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है अतः खाद्यानों के सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं किफायती भंडारण के लिए इसकी गुणवत्ता बनाए रखने हेतु अनेक सावधानियां रखने की आवश्यकता है ताकि भंडारित वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसमें खाद्यान्नों को मौसम की मार, नमी, कृतंकों आदि से बचाने के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना, भंडारित किए जाने वाले स्टॉक को सही रूप से तोलना, उसे नमूनीकृत एवं श्रेणीकृत किया जाना तथा वेअरहाउस रसीद में मात्रा एवं गुणवत्ता का उल्लेख भी किया जाना शामिल है। इसके अलावा खाद्यान्नों सहित वेअरहाउस में जमा स्टॉक का आग, बाढ़, चोरी एवं सेंधमारी के विरुद्ध बीमा किया जाना तथा किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में जमाकर्त्ता को पर्याप्त मुआवज़ा मिलना एवं अनाज को साफ कर उसे सुखाना, गोदाम की सफाई, नए अनाज को पुराने अनाज से दूर रखना, अनाज साफ बोरों में भरना, अनाज को ढोने वाले वाहनों की सफाई, स्टॉक को फर्श की सीलन से बचाने के लिए उचित डनेज का प्रयोग करना, जहां तक हो सके बरसात के दिनों में गोदामों के दरवाजे तथा रोशनदान बन्द रखे जाने चाहिए तथा अन्य मौसम के दिनों में हवा लगाई जानी चाहिए। कीटग्रस्तता का जितनी जल्दी हो सके पता लगाकर स्टॉक का कीट नियंत्रण करना आदि जैसी सावधानियां रखना भी बहुत आवश्यक है।

*वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

गोदाम की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ–साथ प्रत्येक कार्य के लिए पहले से ही निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना, कारोबार को व्यावसायिक निपुणता एवं कुशलता के साथ चलाना, जमाकर्त्ता के साथ सौहार्दपूर्ण एवं मृदु व्यवहार रखना जरूरी है क्योंकि व्यवहार ही संगठन का आईना होता है और **सन्तुष्ट ग्राहक ही कारोबार का सबसे अच्छा विज्ञापन है।** भंडारण सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्राहकों के स्टाक को समय पर डिपाजिट करना तथा उसकी डिलीवरी देना है। यह तभी सम्भव है जब सारे दस्तावेज समय पर तैयार कर लिए जाएं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तकनीकी उपकरण सही जगह तथा सुचारु रूप से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए। विशेष कर वे–ब्रिज, प्रधूमन तथा छिड़काव पम्प आदि पर निरन्तर निगरानी रखनी चाहिए। भावी जमाकर्ताओं से सम्पर्क बनाने तथा उनसे कारोबार लेने की सुविधा से ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। स्टॉक के प्रधूमन तथा उस कीट रहित करने के निम्न उपायों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात् निर्धारित अंतराल में भंडारित वस्तु का परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रधूमन के पश्चात कीट प्रवेश न कर सकें। किसी प्रकार के खाद्यान्न बोरों से बाहर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अपने मूल्यवान ग्राहकों के स्टॉक को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि गोदामों के रख–रखाव का पूरा ध्यान रखा जाए तथा भंडारण सुविधा के अलावा हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कुशल भंडारण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए बड़े–बड़े गोदामों और वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता हाती है। मूल्य नियंत्रण एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए भंडारण व्यवस्था का विशेष महत्व है। पहले किसान भंडारण सुविधाओं के अभाव में तथा धन की कमी के कारण फसल तैयार होते ही कम मूल्य पर उसे बेच देते थे लेकिन भंडारण व्यवस्था के अन्तर्गत अब संग्रह सुविधाओं तथा ऋण–सुविधाओं के कारण किसान फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे रख–रखाव एवं परिवहन व्यवस्था के अतिरिक्त वितरण लागत भी कम आती है।

तेजी से बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए आज भण्डारण के लिए निरन्तर अनुसंधान और चिंतन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक भण्डारण की दिशा में आज कीटनाशन सेवाओं एवं प्रधूमन कार्य की व्यवस्था कर भण्डारित माल का परिरक्षण किया जाता है। सरकार व सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की मूल्य समर्थन एवं मूल्य नियंत्रण में सहायता देना एवं भण्डारण तकनीकों के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के साथ–साथ भण्डारित माल के लिए ऋण–सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करना जैसी सुविधाएँ आज विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को भण्डारण की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें अन्न सुरक्षा की प्रेरणा दी जाती है। भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत आज गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ उच्च स्तर की हैं। वैज्ञानिक तकनीकों के परिणामस्वरूप भण्डारण क्षतियों को कम करने की दिशा में विशेष सफलता हासिल की गई है।

उत्पादन एवं परिरक्षण से खुशहाली की भावना को लेकर भण्डारण व्यवस्था आज देश की प्रगति में निरन्तर योगदान दे रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस दिशा में कहाँ तक प्रगति हो पाएगी लेकिन यह व्यवस्था समय के साथ–साथ विकसित होगी। उत्पादन को बढ़ाना तथा भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें वैज्ञानिक भंडारण का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक भंडारण की समुचित व्यवस्था के बिना उत्पादित माल को सुरक्षित रखना और उसे बरबादी से रोकना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। अतः यह कहना युक्तिसंगत होगा कि नई सोच और नई पहल के साथ **'वैज्ञानिक भंडारण है जहाँ खुशहाली है वहाँ'**।

स्थापना दिवस की सार्थकता

डॉ. मीना राजपूत*

हमारा देश विविधताओं व विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। इनके तीज–त्योहार भिन्न–भिन्न होते हुए भी इन विभिन्न्ताओं में एकता है, आपसी भाईचारा और सौहार्द है, जो हमारे देश की गंगा–जमुनी तहजीब का परिचायक है, जिसकी पूरी दुनिया कायल है। एक ओर जहाँ विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तीज–त्योहार देशवासियों में हर्षोल्लास, प्रेम व उमंग जगाते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, सद्भावना दिवस, बाल दिवस, हिन्दी दिवस आदि राष्ट्रीय पर्व, उत्सव व जश्न देश के गौरव, प्रतिष्ठा व उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में नई खुशियों व नवचेतना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

आजकल इसी तर्ज पर स्थापना दिवस मनाने की परंपरा ने जोर पकड़ा है। कई संस्थानों द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति व कार्य–निष्पादन पर, उन्नति व प्रगति पर और संस्थान की ख्याति व प्रसिद्धि के उद्देश्य से यह दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ पूर्व स्टाफ द्वारा संस्थान के उत्थान व प्रगति के लिए किए गए भगीरथ प्रयासों, महान कार्यों व त्याग को भी याद किया जाता है। साल भर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपार सेवा भाव से किए गए काम के मूल मंत्र, मेहनत और लगन को गर्व से स्मरण करते हुए अनेक नवीन योजनाओं व कारगर लक्ष्य निर्धारण के बारे में अवगत कराया जाता है। अपना काम पूरे उत्साह व मनःपूर्वक बखूबी करने का दृढ़ संकल्प लिया जाता है। इस तरह, स्थापना दिवस मनाने से एक ओर जहाँ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में तन्मयता से काम करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की तत्परता बढ़ती है, एक–दूसरे से आगे बढ़ने की भावना उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर संस्थान के काम, व्यापार एवं ख्याति पर सकारात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक असर दिखाई देता है।

किसी व्यक्ति की पहचान उसके अपने व्यक्तित्व से और किसी संस्थान की पहचान उसके अपने क्रियाकलाप, कार्य–व्यापार, नाम–प्रतिष्ठा से होती है, तथापि कई बार संस्थान में काम करने वाले व्यक्तियों से संस्थान की शान बढ़ती है तो कभी संस्थान की पहचान उसमें काम करने वालों को, उस संस्थान का अभिन्न हिस्सा होने का गौरव प्रदान करती है। ऐसे में व्यक्ति का काम और संस्थान का नाम अन्य नामों से अलग चमकता है, उच्च स्थान पाता है, लोगों के दिलों में राज करता है और वाह–वाही बटोरता है। हर संस्थान अपनी इसी खासियत व अनूठेपन का जश्न मनाता है।

संस्थान के आन्तरिक और बाह्य वातावरण होते हैं। आन्तरिक वातावरण के कारक हैं– संस्थान के उद्देश्य, संस्थान की नीतियाँ, कार्य–क्षमता, कार्य का प्रकार, प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रबंधन में भागीदारी, संगठनात्माक संरचना, मानव संसाधन सुविधाएँ। संस्थान को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाले बाह्य वातावरण के कारक हैं– आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, कानूनी और प्रौद्योगिकीय वातावरण, जिस पर संस्थान का कोई नियन्त्रण नहीं होता। स्थापना दिवस मनाते समय संस्थान के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन दोनों वातावरणों के कारकों का ध्यान रखना जरूरी है।

जैसा कि सभी जानते हैं प्रत्येक व्यापारिक संस्थान की स्थापना का अपना एक उद्देश्य होता है। उसी के आधार पर उसके नियम–विनियम, कार्य संचालन नियमावली, प्रकिया–साहित्य का निर्माण होता है और व्यापार के लिए दिशा–निर्देश बनाए जाते हैं, इसीलिए स्थापना दिवस मनाते समय इसे भी परखना जरूरी होता है। संस्थान की स्थापना के उद्देश्य को कसौटी पर कसना कि क्या वह उद्देश्य अब भी कायम है और उस उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है? संस्थान के आधारभूत उद्देश्यों और बुनियादी मूल्यों के अस्तित्व को बनाए रखने का हर सम्भव प्रयास करना और संस्थान की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध तरीके से विकास करना जरूरी है। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले काम से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाने से योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिल सकती है।

* सहायक प्रबन्धक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

संस्थान का परम कर्तव्य है कि वह बाह्य ग्राहकों, वर्तमान और भविष्य, सभी मौलिक जरूरतों को सही से समझने और उनकी उत्तम व्यवस्था करने के कार्य करे ताकि ग्राहकों के समय और ऊर्जा की बचत हो। आन्तरिक (अधिकारी एवं कर्मचारी) और बाह्य ग्राहकों के बीच सन्तुलन कायम करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। आंतरिक ग्राहकों में कार्य के प्रति समर्पण, दृढ़ता, कड़ी मेहनत की संस्कृति का निर्माण करना उनके कार्य की गुणवत्ता बढ़ाता है। कार्य में नयापन व उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आन्तरिक ग्राहकों को अपने खुद के एजेंडे और प्राथमिकताओं का जिम्मा लेने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता कार्यक्रम चलाना उन्हें अपने कार्य में स्मार्ट बनाने में सहयोग करता है। यही नहीं, सौंपी गई जिम्मेदारियों को समर्पण भाव से पूरा करने वाले कुशल, अनुभवी, ज्ञानी, प्रतिभावान आंतरिक ग्राहकों को सम्मानित व प्रोत्साहित करने से, उनकी विशिष्ट, उल्लेखनीय व सराहनीय सेवाओं के लिए पदक देने से एवं उनके सहयोग व योगदान को सहर्ष स्वीकारते हुए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने से उनका मनोबल बढ़ता है, जिसका उनके व अन्य स्टाफ के कार्य पर सीधा व असरकारी प्रभाव पड़ता है।

स्थापना दिवस जैसे विशेष व महत्वपूर्ण दिन संस्थान के **आधुनिकीकरण व तकनीकी संसाधनों की मौलिक व मूलभूत आवश्कताओं पर सार्थक दृष्टि रखना** भी जरूरी होता है। संस्थान के क्रिया–कलाप पर बारम्बार विचार कर, आवश्यक संसाधन मुहैया कर उनका दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए, कार्यों में समन्वय करना लाभकारी सिद्ध होता है। इससे लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से सुनिश्चित की जा सकती है और सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अधिकारी एवं कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान देने में समर्थ होते हैं, आउटपुट बढ़ता है और जनशक्ति का पूर्णतः उपयोग होता है।

चूँकि आज बाजार और माहौल में प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। समय के साथ पनप रहे समकक्ष नए संस्थानों के चलते **नए व्यावसायिक अवसरों को पहचानना व खोजना** भी जरूरी हो गया है, ताकि स्टाफ की व्यापक कार्य क्षमता के अनुसार कार्य में कई गुना अधिक वृद्धि और नए आयामों का विस्तार हो सके। संस्थान के विकास के लिए नई योजनाएं बनाना और इन विकास योजनाओं में जी–जान लगाकर कार्य करना संस्थान को ऊँचाइयों तक ले जाने में सहायक होता है। संस्थान की कमजोर होती नींव को प्रेम, कर्तव्य–निष्ठा और सच्ची मेहनत से मजबूत करने के प्रयास और तेज किए जा सकते हैं।

स्थापना दिवस संस्थान के समस्त आंतरिक व बाह्य ग्राहकों, गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में मनाना अधिक श्रेयस्कर होता है। अनुभवी साथियों के व्यावहारिक ज्ञान से कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना और उनके अनुभवों को अपने जीवन में उतारना हर मुश्किल से जूझने का जज्बा व जुनून पैदा करता है। इस दिवस को हर वर्ष किसी–न–किसी नए विकास कार्य के लिए समर्पित करने से उस व्यापारिक क्षेत्र विशेष की कमी को दूर करना बेहद आसान होता है। नए सुझावों पर गहन विचार–विमर्श व मंथन करने से महत्वपूर्ण मदों के आधार पर सिलसिलेवार कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है। बदलते व्यापारिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर नीतियों पर आधारित कार्य–शैली की जाँच–पड़ताल कर, आवश्यक होने पर, समय रहते उसमें फेरबदल करने से संस्थान के नुकसान को कम–से–कम या नगण्य करना जरूरी हो जाता है।

इधर कुछ वर्षों में समय के साथ–साथ संस्थानों की स्थापना दिवस के जश्न मनाने के उद्देश्य व तौर–तरीके बदल रहे हैं और इसमें नित नए आयाम जुड़ रहे हैं। वैश्वीकरण व आधुनिकीकरण के चलते आज कई संस्थान सस्ती लोक–प्रसिद्धि पाने और अपने आपको प्रथम पंक्ति में शामिल करने के लिए तरह–तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। गलत कार्य व प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की खोखली जीत व झूठी प्रसिद्धि की उम्र बहुत छोटी होती है और जल्दी ही अपना दम तोड़ देती है। संस्थानों की लगातार उन्नति व प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि काम में ईमानदारी बरती जाए और सही मायने में ऐसा कुछ किया जाए कि संस्थान के कार्यों में उत्तरोत्तर सुधार आए, संस्थान पहले से अधिक बेहतर बन सकें और नित नई ऊँचाइयों को छू सकें।

कई संस्थान तो स्थापना दिवस को मात्र एक जश्न के रूप में मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन को इस दिवस की सफलता मान लेते हैं, परन्तु ऐसे कुछेक मनोरंजक कार्यक्रम सम्पन्न करने मात्र से संस्थान के कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती, बल्कि इस दिन आत्म–निरीक्षण करना और इस बात का चिन्तन व मनन करना जरूरी है कि संस्थान की आज की स्थिति कैसी है? संस्थान को आगे बढ़ाने के

लिए कौन–सी अहम भूमिका निभायी जानी है? संस्थान ने निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया या नहीं? संस्थान की कार्य–शैली, साख व उपयोगिता में समय के साथ कौन–सा सकारात्मक बदलाव आया? ग्राहकों की सुविधा के लिए नियमों व सेवाओं में सुधार व लचीलापन लाया गया? सेवाएं बढ़ायी गईं तथा अधिक बेहतर की गईं? स्थापना दिवस की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि इस दिन को कितनी गम्भीरता से लिया जा रहा है? और उसके लिए कितनी सजगता, सतर्कता व संजीदगी बरती जा रही है?

अन्तिम, किन्तु महत्वपूर्ण बात, स्थापना दिवस की सार्थकता तभी फलीभूत और संस्थान के विस्तार व प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकती है जब मात्र प्रबंधन अधिकारी नहीं, बल्कि **संस्थान से जुड़े हर एक छोटे–बड़े अधिकारी–कर्मचारी स्वतःस्फूर्त** होकर संस्थान की नीतियों व उसकी प्राथमिकताओं को सजग रूप से स्वीकार करें, लक्ष्य निर्धारित कर कार्यालयीन कार्य–शैली में व्यावहारिक रूप से कार्य करने का हर सम्भव प्रयास करें और निरन्तर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें।

हे नारी– तुझे मेरा नमन है

सागरिका दत्ता*

नारी, क्या तू सच में अबला है???
तो फिर तू कैसे एक बेटी, एक बहू
एक पत्नी और एक मां होने का कर्तव्य निभा पाती है।।
कैसे तू अपना पीहर छोड़, ससुराल को अपना बना लेती है
कैसे तू अपने सुख–दुख, इच्छाओं को
औरों के लिए सूली पर चढ़ा देती है
कैसे तू नौ महीने गर्भ में अपने शिशु को सींचती है.....

हे नारी! कौन कहता है कि तू अबला है.....
गर तू अबला होती तो कैसे अपनों पर आई
मुसीबत का डटकर सामना करती.....
कैसे अपने मातृत्व से सभी का पोषण करती.....
कैसे दूसरों की खुशी, उनका दर्द खुद महसूस कर पाती.....
कैसे अपना सर्वस्व गैरों पर न्योछावर करती

हे नारी! शक्ति है, तू ऊर्जा है, तू ताप है,
जो सभी विपदाओं का नाश करती
जो अपने शत्रुओं का संहार करती.....

हे नारी! तू हिम है, तू शीतल जल है, तू ठंडी हवा है,
जो अपने सुख की छांव में सभी को रखती
और दर्द हो अपनों को, तो ढ़ाल बन सब सहती

हे नारी! कौन कहता है कि तू अबला है ....
तू श्रद्धा है, तू त्याग है, तू धैर्य है
तेरा ऋण न कोई चुका सकता
तेरे चरणों की धूल नतमस्तक है,
हे नारी! तुझे मेरा शत–शत नमन है

* हिंदी अनुवादक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

भंडारण

सच्चिदानंद राय*

भंडारण एक पुण्य कर्म है।
जन–जन का नियम–धर्म है।।
इससे अन्न की रक्षा होती ।
जन–जीवन सुरक्षा होती।।
एक–एक दाना हमें बचाना।
भंडारण सामर्थ्य बढ़ाना।।
किसानों की किस्मत भंडारण।
भारत का है भाग्य भंडारण।।
अन्न के साथ और भंडारण।
वस्तु विशेष या साधारण।।
अन्न का वैज्ञानिक संरक्षण।
किसानों को दे प्रशिक्षण।।
भारत का भविष्य अति सुंदर।
आधी आबादी निर्भर खेती पर ।।
भारत कृषि प्रधान देश है।
भंडारण करना विशेष है।।
आमूल–चूल परिवर्तन करके।
पुराने सब कुछ नियम बदल के।।
भंडारण की नई पहल कर।
सर्व साधारण नीति बनाकर।।
सबका सह–अस्तित्व सुरक्षित।
भंडारण में होकर शिक्षित।।
देश के हित में हो भंडारण।
सहभागी बनें सर्व–साधारण।।
भंडारण अपनाए जन–जन।
देश सेवा में रहे संलग्न।

* अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई।

निगम में आंतरिक अंकेक्षण की भूमिका एवं उसका महत्त्व

रामसेवक मौर्य*

किसी भी वाणिज्य संस्था, उत्पादक कम्पनियों एवं अन्य कॉरपोरेट स्तर की कम्पनियों में तथा प्रशासनिक व्यवस्था में आंतरिक अंकेक्षण का उतना ही महत्व है जितना की शरीर के अंगों की शरीर को स्वस्थ रखने में भूमिका होती है क्योंकि शरीर का हरेक अंग अपने स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। यदि शरीर का कोई भी भाग अस्वस्थ है तो उस मानवीय ढांचे को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। केन्द्रीय भण्डारण निगम में भी यही भूमिका आंतरिक अंकेक्षण विभाग की है। निगम में आंतरिक अंकेक्षण जो कार्य कर रहा है वह वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 एवं अतिरिक्त कार्य नियम 2 (क) वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन नियम 1963 के द्वारा संचालित है। निगम में आंतरिक अंकेक्षण विभाग का कार्य क्षेत्र–निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, वेअरहाउस, यूनिट, निर्माण खण्ड इत्यादि है तथा निगमित कार्यालय स्तर पर सतर्कता विभाग को छोड़कर वह अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों में अपनी अहम भूमिका अदा करता है जैसे वाणिज्यिक, वित्त, कार्मिक, तकनीकी, अभियांत्रिक और योजना, प्रचार, एमआईएस, गुणवत्ता नियंत्रण, बोर्ड एंड कोर्डिनेशन विभाग इत्यादि।

निगम में आंतरिक अंकेक्षण जो भूमिका अदा करता है, उसमें उसका कार्यक्षेत्र इस प्रकार है–

1. निगम द्वारा तैयार की गई वाणिज्यिक पॉलिसी, वित्तीय पॉलिसी, तकनीकी पॉलिसी इत्यादि का अनुपालन नीतियों के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं।
2. निगम द्वारा अपने कारोबार के लिए जो टैरिफ सभी यूनिटों को दिया जाता है, उसके अनुरूप पार्टियों से उसका भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, या नहीं।
3. निगम द्वारा जो भण्डारण पॉलिसी अनुमोदित की गई है, सभी संबंधित विभागों में उसका अनुपालन हो रहा है, या नहीं।
4. वित्तीय अनियमितताओं को चेक कर उन्हें सही रूप से कार्यान्वित कराना अंकेक्षण विभाग की भूमिका में आता है।
5. निगम द्वारा अनुमोदित की गई निविदाओं के अनुसार एवं उसमें उल्लिखित नियमों एवं उपनियमों तथा लेबर प्रावधानों इत्यादि का सही अनुपालन हो रहा है, या नहीं।
6. निगम की चल–अचल संपत्तियां जो निगमित कार्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एवं वेअरहाउस यूनिट स्तर पर उपलब्ध हैं, उनका सही अनुपालन, रख–रखाव तथा रिकार्ड लेखा नियमों के अनुरूप रखा जा रहा है, या नहीं।
7. जो बैंक ट्रांजेकशन वेअरहाउस स्तर पर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एवं निगमित कार्यालय स्तर पर सही एवं निर्धारित समय में हो रहे हैं और उसकी जानकारी जिस स्तर पर दी जाती है, वह समय से दी जा रही है, या नहीं।
8. वेअरहाउस यूनिट अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा के लिए वेअरहाउस रसीद प्रदान करता है। वह रसीद निगम की पॉलिसी के अनुरूप जारी की जा रही है, या नहीं।
9. ग्राहकों द्वारा जमा किया गया माल एवं उनकी प्रविष्टियां और माल की गुणवत्ता व मात्रा का रिकार्ड निगम की पॉलिसी के अनुरूप रखा जा रहा है, या नहीं।
10. निगम द्वारा जोखिमों के लिए विभिन्न तरह की बीमा पॉलिसी ली जाती हैं, उनका अनुपालन निगम की निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन हो रहा है, या नहीं।
11. निगम की उन्नति के लिए निगम एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा जो प्रशिक्षण अपने ग्राहकों के लिए समय–समय पर निर्धारित किया जाता है, उसकी गुणवत्ता निगम द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार की जा रही है या नहीं।
12. निगम के चहुमुखी विकास के लिए ग्राहकों को उनकी सुविधा अनुसार एवं उनके हितों की रक्षा,

* प्रबंधक (लेखा/आंतरिक अंकेक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

डिपोजिट माल का सही रख–रखाव तथा अच्छी सेवा देने हेतु जो निगम द्वारा निर्धारित किया है, उन मापदंडो के अधीन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं या नहीं।

13. ग्राहकों की शिकायतों एवं सुझावों पर निगम के सभी स्तरों पर आकलन किया जा रहा है या नहीं।

14. निगम के आंतरिक एवं बाहरी ग्राहकों को संतोषजनक रूप से समय–समय पर अच्छी सेवाओं से खुश एवं संतुष्ट रखना जो निगम की पॉलिसी में उल्लिखित है, उसके अनुपालन में अंकेक्षण अपनी अहम भूमिका अदा करता है इसके साथ–साथ यह निगम की क्रय, प्रचार, विक्रय इत्यादि नियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में भी अपनी भूमिका अदा करता है। साथ ही, यह भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के साथ सहयोग कर निगम की कार्य–प्रणाली में हो रही विसंगतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा निगम के उच्च प्रबंधन को अपनी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देने में भी अहम भूमिका निभाता है जो प्रबन्धन एवं फील्ड के बीच में सेतु का कार्य करता है।

निगम का आंतरिक अंकेक्षण विभाग प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और निगम में ऊपर उल्लिखित विभिन्न पॉलिसियों में जो भी अनियमितातयें पाई जाती हैं, उन्हें दूर करने तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए जो भी गुंजाइश होती है, उन्हें अपनी रिपोर्ट के माध्यम से निगम के उच्च प्रबंधन को भेजता है और निगम के उच्च प्रबन्धन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्रवाई कराता है।

अंकेक्षण टीम का जो कार्य क्षेत्र है वह अंकेक्षण के नए मैनुअल 2010 के द्वारा संचालित हो रहा है उसके अनुसार ऑडिट टीम को निर्धारित समय में अपना अंकेक्षण टेस्ट चेक के आधार पर समाप्त करना होता है तथा उसकी रिपोर्ट निर्धारित अवधि में उच्च प्रबन्धन को भेजनी होती है जो प्रबंधन की आँख के रूप में जानी जाती है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आंतरिक अंकेक्षण विभाग निगम के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

वैज्ञानिक भंडारण द्वारा न केवल वस्तुओं का व्यवस्थित रखरखाव संभव है बल्कि इसके निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ भी हैं:

- फसल की कटाई के बाद की हानियां कम हो जाती हैं।
- आपूर्ति एवं मांग में समन्वय स्थापित होने से मूल्यों में स्थिरता आती है।
- भंडारगृह में भंडारित वस्तु को एक परक्राम्य संविदा के रूप में परिवर्तित कर बैंकों से ऋण लेने में सहायता मिलती है।
- किसान अपने उत्पाद को जल्दबाजी में बेचने की समस्या से बच जाते हैं।
- उत्पादों की बिक्री से पूर्व उनकी पैकिंग, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं।
- उपभोक्ताओं को वस्तुएं देखभाल कर खरीदने का अवसर मिल जाता है।
- वस्तुओं की नियमित आपूर्ति संभव हो जाती है जिससे अभाव एवं अधिकता दोनों स्थितियों से ऊपर उठने में सहायता मिलती है।

समुचित भंडारण नीतिः आज की आवश्यकता

नम्रता बजाज*

गोदाम की संकल्पना कब आरंभ हुई, इसका पता लगाना मुश्किल है। प्रारंभिक सभ्यताओं में लोग बीजों और बचे हुए भोजन को पुनः प्रयोग में लाने के लिए कोई बड़ा ढांचा बनाने के बजाय गड्डों में उन्हें भंडारित करने पर भरोसा करते थे। एलैन टेस्टर्ट जैसी समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि यह शुरुआती भंडारण तकनीक समाज के विकास के लिए आवश्यक थीं। आज के गोदामों के समान कुछ पुराने गोदामों के उदाहरण रोमन हॉर्रे हैं। वास्तव में गोदाम माल को भंडारित करने के लिए एक वाणिज्यिक इमारत होती है। इसका उपयोग निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, थोक व्यापारी, परिवहन, कस्टम आदि द्वारा किया जाता है। ये आम तौर पर शहरों, कस्बों और गांवों के औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए गए बड़े भवन होते हैं। कभी–कभी सीधे ही रेलवे, हवाई अड्डों, या बंदरगाहों से माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए गोदामों का निर्माण किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, 19वीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी तक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से गोदाम शहरी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा थे। वेअरहाउस आमतौर पर बड़े सादे भवन होते हैं जो माल के भंडारण के लिए वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग आम तौर पर निर्यातकों, आयातकों, थोक व्यापारी, निर्माताओं आदि द्वारा किया जाता है। गोदामों को आमतौर पर ट्रकों को लोड और अनलोड करने के लिए लोडिंग डॉक से लैस किया जाता है और उनके पास सामान ले जाने के लिए क्रेन और फोर्कलिफ्ट होते हैं। कुछ गोदामों को पूरी तरह से स्वचालित किया जाता है, जहां उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसमें स्वचालित कन्वेयर और स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति मशीन शामिल होते हैं।

भण्डारण का अर्थ है बड़ी मात्रा में वस्तुओं को, उनकी खरीद अथवा उत्पादन के समय से लेकर उनके वास्तविक उपयोग अथवा विक्रय के समय तक सुरक्षित रखना। वेअरहाउस अथवा गोदाम शब्द एक–दूसरे के पर्यायवाची है, अतः जहाँ वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है, वह वेअरहाउस कहलाता है। गोदाम की दक्षता में सुधार के लिए डाटाबेस आधारित कम्प्यूटर प्रोग्राम 'वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम' (डब्ल्यूएमएस) द्वारा गोदाम के लेन–देन रिकॉर्डिंग के माध्यम से सही वस्तु–सूची बनाई जा सकती है। कुछ गोदाम पूरी तरह से स्वचालित होते हैं और वहां सभी कार्यों को संभालने के लिए केवल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है।

आपूर्ति और मांग में उतार–चढ़ाव को सुचारू बनाने के लिए पहला माध्यम बफर इन्वेंट्री है। यह कंपनियों हेतु अच्छी ग्राहक सेवा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा निवेश स्टॉक बनाने में है जहां वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार–चढ़ाव होता है और मूल्य अनुकूल होने पर स्टॉक को बेचा जा सकता है। तीसरा, किसी संगठन के भीतर गोदाम निर्माण और आपूर्ति इकाइयों में पूंजी और श्रम के अत्यधिक प्रभावी उपयोग में सहायता करते हैं। वितरण केंद्र के गोदामों के अलावा, कुछ कंपनियों के पास उत्पादन गोदाम भी हो सकता है और कुछ उद्योगों में भंडारण गोदामों का उपयोग भी किया जाता है।

वास्तव में आपूर्ति श्रृंखला संचालन या प्रबंधन में शामिल किसी व्यक्ति के लिए भंडारण ज्ञान आवश्यक है। यह ग्राहक की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पाद बनाए रखने की प्रक्रिया है, भंडारण के अंतिम चरण में सामान वितरित करने और शिपिंग करने का परिवहन एक अन्य पहलू होता है। वेयरहाउसिंग कंपनियां अब भंडारण सुविधाओं से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और खुद को तीसरे पक्ष के लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं में बदल रही हैं या "3PLs" जो सेवाओं और कार्यों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं इसके पीछे ग्राहक एक–स्टॉप शॉपिंग और नई प्रौद्योगिकियों की मांग है। एक और विकास चौथा–पक्षीय लॉजिस्टिक्स प्रदाता (4PL) है, जिसमें 3PL सेवाओं की आपूर्ति के लिए कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

* प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

पहले गोदाम प्रबंधन को संभालना बहुत आसान माना जाता था। उस समय सब कुछ मैन्युअल रूप से किया जाता था। तब सबसे बड़ी समस्या थी बार कोड और गोदाम में स्थान की उपयोगिता। आज इंटरनेट से दुनिया में भारी परिवर्तन हुआ है, अब पहले की तुलना में अधिक सरल और कम समय में कुशलता और उपभोग सहित संभावित आर्थिक बचत के साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो रहा है।

आज के गोदामों की कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं:

i) सभी मैकेनाइज्ड या मैनुअल ऑपरेशन स्वचालित करना।
ii) विपरीत परिस्थितियों में भी ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना।
iii) आपूर्ति श्रृंखला अनुप्रयोगों के साथ गोदाम के आंकड़ों का एकीकरण करना।
iv) लागत प्रभावी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अनुरूप कार्य करना।

इन परिवर्तनशील रुझानों का सामना करने के लिए, अधिकांश कंपनियों ने वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस) और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) जैसी नई प्रौद्योगिकियां शुरुआत की हैं और कुछ ने उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं और सुविधाओं को फिर से डिजाइन करने का निर्णय लिया है।

वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है, जो मुख्य रूप से एक गोदाम के भीतर सामग्रियों के भंडारण और गति को नियंत्रित करता है और लेन–देन को प्राप्त करता है। प्रत्येक गोदाम में तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं: इनबाउंड, स्टोरेज और आउटबाउंड। आप कह सकते हैं कि एक चौथी प्रक्रिया है: प्रशासन। इसमें आपके गोदाम का ट्रैक रखने के लिए आवश्यक सभी काम भी शामिल हैं। भंडारण प्रक्रिया यह तय करती है कि आपकी वस्तुओं को कैसे संग्रहीत किया जाएगा। निरीक्षण किए जाने के बाद, आप या वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस) तय करता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। अधिकांश ई–कॉमर्स गोदामों में वस्तु की लोकप्रियता या अन्य गुणों के आधार पर अलग–अलग भंडारण व्यवस्था होती है।

गोदाम का कार्य: गोदाम बड़ी मात्रा में माल को गर्मी, सर्दी, आंधी, नमी से सुरक्षा प्रदान कर हानि को न्यूनतम करते हैं। गोदामों के कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है–

वस्तुओं का भंडारण: यह भंडारण का मूल कार्य है। गोदामों का मुख्य कार्य वस्तुओं को उस समय तक भली–भाँति संग्रहीत करना है जब तक उनके उपयोग, उपभोग या उनकी बिक्री के लिए आवश्यकता नहीं होती। ऐसी वस्तुएं जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, वह गोदामों में संग्रहित हो सकती हैं। इनकी आपूर्ति ग्राहकों की आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

वस्तुओं की सुरक्षा: गोदाम वस्तुओं को गर्मी धूल, हवा, नमी आदि के कारण खराब होने से बचाते हैं। इनके पास विभिन्न वस्तुओं के लिए उनकी प्रकृति के अनुसार संरक्षण की व्यवस्था होती है।

जोखिम उठाना: जब गोदामों में सामान जमा हो जाते हैं तो चोरी, गिरावट, अन्वेषण, फायर आदि के रूप में कई जोखिम आते हैं। गोदामों का निर्माण इस तरह किया जाता है कि इन जोखिमों का सामना कम से कम हो। गोदामों में वस्तुओं को हानि अथवा क्षति का जोखिम गोदाम अधिकारी को उठाना होता है इसीलिए वह उनकी सुरक्षा के सभी उपाय करता है।

वित्तीय सुविधा: जब कोई व्यक्ति गोदाम में माल जमा करता है तो गोदाम से उसे रसीद मिलती है जो प्रमाणित करती है कि माल गोदाम में जमा है। इस रसीद का बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अग्रिम लेने पर जमानत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ गोदाम स्वामी स्वयं भी उनके गोदाम में जमा माल की जमानत पर जमाकर्ता को अल्प अवधि के लिए धन अग्रिम दे देते है। वेअरहाउस मूल्य के स्थायीकरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्रेडिंग और पैकिंग: आज गोदाम सामानों की पैकिंग, प्रसंस्करण और ग्रेडिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। मालिक के निर्देशानुसार सामान को सुविधाजनक आकार में पैक किया जाता है।

गोदाम के प्रकारः

निजी गोदामः व्यापारी या विनिर्माता अपने माल के संग्रहण के लिए स्वयं के गोदाम रखते हैं और उसका संचालन करते है ताकि वे अपनी भंडारण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ऐसे गोदाम निजी गोदाम कहलाते हैं।

सार्वजनिक गोदामः यह एक स्वतंत्र इकाई होती हैं जिसमें किराया चुका कर कोई भी व्यक्ति अपने माल को इन गोदामों में रख सकता हैं। यह एक व्यक्ति या सहकारी समिति द्वारा स्वयं संचालित किया जा सकता है और उसे निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके कार्य करना होता है। कृषि उत्पादों के विपणन में सार्वजनिक गोदाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए सरकार सहकारी क्षेत्र में सार्वजनिक गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। सार्वजनिक गोदाम कम लागत पर छोटे निर्माताओं और व्यापारियों को भंडारण सुविधाएं प्रदान करते हैं। सार्वजनिक गोदाम आमतौर पर रेलवे, राजमार्गों और जलमार्गों के जंक्शनों के पास स्थित होते हैं इसलिए माल की आसानी से रसीद, प्रेषण, लोडिंग और उतारने के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारी माल के संचालन के लिए मैकेनिकल डिवाइसेज़ का उपयोग भी किया जाता है।

सरकारी गोदामः इन गोदामों का स्वामी सरकार होती है। वहीं इनका प्रबंधन एवं नियंत्रण करती है। केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम एवं भारतीय खाद्य निगम सरकारी भंडारगृहों के उदाहरण हैं। सरकारी एवं निजी दोनो उद्गम इन गोदामों का उपयोग अपने माल के संग्रहण के लिए कर सकते हैं।

बॉन्डेड गोदामः ये वे गोदाम हैं जिनमें उन आयातित वस्तुओं का भंडारण किया जाता है जिन पर आयात कर नहीं चुकाया गया है। इन गोदामों का संचालन साधारणतः सरकार या कस्टम प्राधिकरण के नियंत्रण में होता है तथा यह बंदरगाह के समीप स्थित होते हैं।

सहकारी गोदामः इन गोदामों की स्थापना सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए की जाती है। यह बहुत ही किफायती दर पर भंडारण सुविधाएं प्रदान करते है।

भण्डारण का महत्व

कच्चे माल का संग्रहणः यदि उत्पादन की निरन्तरता को बनाए रखना है तो कच्चे माल की निश्चित मात्रा सदैव उपलब्ध रखनी होगी। यहीं नही, कुछ कच्चे माल ऐसे हैं जो केवल विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं जैसे कपास, तिलहन, जबकि उत्पादन में इनकी आवश्यकता पूरे वर्ष रहती है। इसीलिए इन्हें स्टॉक में रखना पड़ता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके।

मूल्य वृद्धि की संभावना के कारण संग्रहणः निर्माता यदि यह समझता है कि कच्चे माल की कमी होगी तथा भविष्य में उसके मूल्य में वृद्धि होगी तो वह इसका संग्रह अवश्य करेगा। यह समान रूप से व्यापारियों के लिए भी लागू होता है जो माल के मूल्य में वृद्धि की संभावना को देखते हुए माल का संग्रहण करते हैं।

तैयार माल का संग्रहणः साधारणतः माल के विक्रय की संभावना को ध्यान में रखकर ही उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन पूरे वर्ष होता है। लेकिन इनका उपयोग वर्ष की निश्चित अवधि में ही होता है जैसे कि बिजली के पंखे, ऊनी कपड़े आदि। इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका उत्पादन तो वर्ष के एक विशेष समय में होता है। लेकिन उनका उपयोग पूरे वर्ष किया जाता है जैसे कि चीनी। इस कारण इनके संग्रहण की भी आवश्यकता होती है।

थोक विक्रेताओ द्वारा माल का संग्रहणः थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं तथा समय–समय पर फुटकर विक्रेताओं को छोटी मात्रा में उनकी आवश्यकतानुसार माल का विक्रय करते हैं।

पैकेजिंग एवं वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करनाः गोदामों में वस्तुओं को आकार या गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न वर्गो में विभक्त किया जाता है ताकि सरलता से उन्हें उपयोग में लाया जा सके तथा उनकी बिक्री की जा सके।

आयातकों के लिए उपयोगीः कुछ गोदाम (जिन्हें बॉन्डेड माल गोदाम कहते हैं) को उस समय तक आयात किये गये माल के संग्रहण के लिए उपयोग में लाया जाता है जब तक की आयातक उनके सीमा शुल्क का भुगतान न कर दें।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के भंडारण के लिए समुचित भंडारण व्यवस्था एवं नीति बनाना और उसका यथोचित उपयोग सुनिश्चित करना आज की आवश्यकता है।

निगम के क्षेत्रीय कार्यालय–एक परिचय

इस पत्रिका के पाठकों को क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य विधि एवं इनके अधीन वेअरहाउसों तथा अन्य कार्यकलापों की जानकारी देने के लिए संक्षिप्त परिचय प्रकाशित किया जाता है। पिछले अंकों में क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर एवं कोलकाता का संक्षिप्त परिचय दिया गया था। इस अंक में जानिये हमारे क्षेत्रीय कार्यालय– पंचकुला और कोच्चि के बारे में।

क्षेत्रीय कार्यालय–पंचकुला

केन्द्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पंचकुला 21 जून 1997 को अस्तित्व में आया। इस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत हरियाणा राज्य के वेअरहाउस आते हैं।

पंचकुला क्षेत्र में कुल 26 भंडारगृह है। जिसकी क्षमता एवं उपयोगिता निम्नलिखित है :–

क्र. सं.	भंडारगृह का नाम	क्षमता	उपयोगिता
1-	करनाल–तृतीय	72100	72100
2-	जगाधरी	35273	35625.73
3-	नारायणगढ़	30000	30600
4-	हिसार	28400	17040
5-	लाडवा	26834	27236.51
6-	बरही	26600	10108
7-	कैथल	25700	25700
8-	टोहाना	24880	25626.4
9-	सिरसा	23700	22752
10-	असंध	23000	13800
11-	करनाल–प्रथम	30003	9900.99
12-	सोनीपत	19280	18528.08
13-	इंद्री	15180	10322.4
14-	मंडी आदमपुर	17250	2932.5
15-	चरखी दादरी	15800	11950
16-	भिवानी	10985	10985
17-	गोहाना	3966	991.5
18-	नरवाना	6000	4500
19-	कुरुक्षेत्र	5000	3900
20-	रोहतक	4900	3969
21-	फतेहाबाद	4721	3918.43
22.	देहरा	4270	4270
23.	पलवल	3334	2433.82
24.	सोलन	3000	3000
25.	मंडी	2370	2370
26.	उकलाना	5000	5750

पैस्ट नियन्त्रण सेवाएं

निगम की पैस्ट नियन्त्रण सेवाएं पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। केन्द्रीय भंडारण निगम, पंचकुला अपनी पैस्ट नियन्त्रण सेवाएं सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/निजी एजेंसियों आदि को उपलब्ध करा रहा है।

किसान विस्तार सेवा योजना

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला के अंतर्गत 460 गाँवों के 9100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा डब्ल्यूडीआरए के तीन प्रशिक्षण आयोजित किए गए। जिनमें कुल 150 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

फसल उपरान्त प्रोद्योगिकी

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला द्वारा फसल उपरान्त प्रोद्योगिकी विषय पर दो दिवसीय शिविर लगाया गया। जिसमें प्रशिक्षण के अलावा किसानों को धातु की टंकियाँ भी वितरित की गईं।

राजभाषा गतिविधियाँ

1. क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला में प्रत्येक तिमाही पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें राजभाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। साथ ही, कार्यालय में कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईपिंग (यूनिकोड पर) कार्यशाला का विशेष आयोजन किया गया।
2. प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुभागों में हिन्दी में किए जा रहे कार्य की समीक्षा की जाती है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।
3. प्रति वर्ष 01 सितम्बर से 15 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है एवं भाग लेने वाले सभी विजेता कार्मिकों को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं।
4. कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नराकास (चंडीगढ़) की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया जाता है।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला द्वारा हर वर्ष हिन्दी पुस्तकों की खरीद की जाती है जिसमें कहानियाँ, साहित्यिक उपन्यास, कविता आदि सम्मिलित हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय–कोच्चि

केन्द्रीय भण्डारण निगम का कोच्चि क्षेत्र नवंबर, 2008 के दौरान पुनः शुरू हुआ। क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि के कार्यों के अंतर्गत केरल राज्य में स्थित वेअरहाउसों के प्रबंधन एवं प्रशासन कार्य शामिल हैं। केन्द्रीय भण्डारण निगम, कोच्चि क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 12 वेअरहाउस हैं।

निगम सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सरकारी और सरकारी प्रायोजित अभिकरणों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रमुख औद्योगिक और कॉर्पोरेट घरानों, किसानों आदि की भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह पूरी तरह से कृषि समुदाय, व्यापार और उद्योग के लाभ के लिए सेवाएं प्रदान करता है।

निगम के पास केरल राज्य में अपनी भूमिका और मौजूदगी का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नौवहन संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं। त्रिवेंद्रम के विझिंजम एवं कन्नूर के अजिकलपोर्ट आने वाले समय के अंतरराष्ट्रीय डीप वॉटर कन्टेनर पोर्ट हैं और इस प्रकार की परियोजनाएँ निगम को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

वेअरहाउस–वार क्षमता (मी.टन.)	
एरणाकुलम	14065
एडतला	11700
कोच्चि	5030
काकनाड	23249
कोषिकोड	12254
काकनचेरी	6350
पालक्कड	15000
त्रिचुर	32590

वेअरहाउस–वार क्षमता (मी.टन.)	
त्रिवेन्द्रम	19000
कुन्ननतानम	10000
कन्नूर	6775
कुल	159201

एरणाकुलम में 3025 वर्ग मीटर बहुमंजिला क्षेत्रीय कार्यालय एवं वाणिज्यिक परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रमुख उपयोगकर्ता

केरला स्टेट सिविल सप्लाइस कॉर्पोरेशन, गेल (इंडिया) लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केरला मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन, पतंजली, केरला स्टेट बेव्रिजिज कॉर्पोरेशन, कंजुमफ्रेड, भारतीय खाद्य निगम, आई.टी.सी. लिमिटेड, आई.एफ.बी. लिमिटेड, रिलायन्स इंडर्ट्रिज लिमिटेड, पेप्सिको, इंगलिश इंडियन क्ले लिमिटेड एवं डर्मो एक्सोर्ट्स।

डब्ल्यू.डी.आर.ए. एवं नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद

देश में भण्डारण क्षेत्र के विकास को दृष्टि में रखकर भारत सरकार ने नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद प्रणाली का सूत्रपात किया। 2007 में संसद ने वेयरहाउसिंग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम कानून बनाया। भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.), जो 26 अक्तूबर, 2010 को अस्तित्व में आया और जिसका उद्देश्य वेअरहाउसों के विकास एवं विनियमन, वेअरहाउस रसीद इत्यादि के नेगोशिएबिलिटी नियम बनाना है।

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत वेअरहाउस द्वारा जारी किए गए नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (एन डब्ल्यू आर) कृषि उत्पादों के विक्रय संकट से बचने तथा बैंकों से कर्ज लेने के लिए किसानों की मदद करेंगे। यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, व्यापारियों, कमोडिटी एक्सचेंजों जैसे हितधारकों और उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा।

केन्द्रीय भण्डारण निगम, कोच्चि क्षेत्र के निम्नलिखित वेअरहाउस डब्लू.डी.आर.ए. के तहत पंजीकृत हैं: –

एरणाकुलम, एडतला, त्रिचुर, काकनचेरी, पालक्कड, काकनाड, कोशिकोड, कुन्ननतानम एवं त्रिवेद्रम।

पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाला मान्यता प्राप्त अभिकरण होने के नाते हम व्यापार, उद्योग और कृषि समुदाय के लिए सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। हमने प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, खाद्य उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रमुख विभागीय स्टोर के साथ प्रतिष्ठित कार्यभार संभाला है। हमारे क्रिया–कलापों का विस्तार करने और हमारे ग्राहक आधार को और मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।

किसान विस्तार सेवा योजना

किसान विस्तार सेवा योजना के अंतर्गत निगम फसलोत्तर क्षतियों को कम करने एवं घरेलू स्तर पर भण्डारण एवं पैस्ट नियंत्रण की प्रौद्योगिकी का सम्पूर्ण ज्ञान देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देती है। निगम के द्वारा केरल राज्य में इस योजना के तहत की गई प्रगति निम्न प्रकार है।

वर्ष	प्रशिक्षित किसानों की सं.
2009–10	11419
2010–11	12249
2011–12	15032
2012–13	14065
2013–14	15316
2014–15	16109
2015–16	14224
2016–17	14337

फसलोत्तर प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षित करना निगम का सामाजिक दायित्व है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा किसानों को फील्ड स्तर पर भण्डारण और जन–भण्डारगृहों में भण्डारण की तकनीकों एवं लाभ से अवगत कराने के लिए केरल राज्य के विभिन्न भागों में फसलोत्तर प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निगम द्व ारा सभी प्रतिभागियों को धातु भण्डारण बिन एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। रसीद के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु डब्ल्यू.डी.आर.ए. की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया।

निगम में पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

डॉ. सिद्धार्थ रथ*

भारत सरकार द्वारा 1968 में केंद्रीय भंडारण निगम को नियम 1963 में संशोधन करते हुए एक और दायित्व् सौंपा गया जिसमें निगम को अपने वेअरहाउसों से बाहर जाकर कीट नियंत्रण सेवायें प्रदान करनी थी। इसके लिए निगम को एकल संस्था के रूप में पहचान मिली और जिसमें निगम की कीट नियंत्रण गतिविधियों को काफी सराहा गया।

स्वंतत्र रूप से पैस्ट कंट्रोल सर्विस देने के लिये वर्ष 2005 में पैस्ट कंट्रोल विभाग की स्थापना से पहले डैस की गतिविधियों को मुख्यालय के तकनीकी विभाग द्वारा कराया जाता था। इसकी स्थापना के बाद पैस्ट कंट्रोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं (सामान्य विसंक्रमण सेवा, प्रधूमन सेवा, दीमक रोधी उपचार, अपतृण और रोगानुवाहक प्रबंधन एवं कीटाणुनाशन) पर अपना ध्यान केंद्रित करने से इस व्यवसाय द्वारा निगम को एक नयी पहचान मिली।

इसके लिये सबसे पहले तीव्रगति से बड़े पैमाने पर की जाने वाली मॉर्किटिंग की शुरूआत की गई। इस व्यवसाय को व्यापक रूप से पूरे भारत में फैलाने के लिये सभी जगहों पर सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा निकलने वाले टेंडर्स को शामिल किए जाने के लिए पहली जरूरत थी निगम का मान्यता प्राप्त होना। इसके लिए मान्यता भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पी.पी.क्यू. व स्टोरेज निदेशालय द्वारा दी जाती है। इस प्रणाली में एन.एस.पी.एम.–12 व एन.एस.पी.एम.–22 के तहत मान्यता दी जाती है। 14 आई.सी.डी. एवं सी.एफ. एस. में तैनात कम से कम 54 क, ख व ग श्रेणी के कार्मिकों को यह मान्यता दिलवाई गई ताकि वह सभी प्रकार के धूमीकरण करने के लिये प्राधिकृत हो सकें। यह पी.सी.एस. सेवाओं के लिए किया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम था।

निगम प्रतिवर्ष अपने कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के लिए कीट नियंत्रण सेवाओं का प्रशिक्षण आयोजन करता है जिसमें समय–समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में निगम द्वारा 15 दिन का लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। पिछले 13 सालों से निंरतर उच्चस्तरीय कीट निंयत्रण सेवायें सफलतापूर्वक प्रदान की जा रही हैं। अतिविशिष्ट श्रेणी आवासीय भवनों, भारतीय रेल, भारतीय जहाजरानी निगम, सरकारी व गैर सरकारी एयरलांइस के विमानों का धूमीकरण, बैंक, होटल, हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हाउसों, संस्थानों, घरों, गोदामों, मिलों, आयात–निर्यात कंटेनरों इत्यादि में पी.सी.एस. सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

पी.सी.एस. कार्य को बढाने के लिए प्रचार–प्रसार हेतु सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को गाईडलाइन्स जारी की गई हैं, जिसमें प्रमुख वेअरहाउसों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर पी.सी.एस. कार्य हेतु डिस्पले बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया था जिससे नये ग्राहकों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हो।

पी.सी.एस. कार्य में आय को बढाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को टेंडर में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता प्राप्त करने के लिये मागदर्शन दिया गया है, जिसमें कॉस्ट एण्ड शीट को सही तरीके से तैयार करने के लिये बताया गया है, जिससे टेंडर्स प्राप्ति में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहे। यह भी सुझाव दिया गया है कि टेंडर टाइगर जैसी अन्य टेंडर प्रदान करवाने वाली एजेंसियों में पंजीकरण किया जाना चाहिए जिससे हमें विभिन्न निविदाओं की अधिक से अधिक जानकारी समय पर मिल सके। इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को अधिकार दिया जाए और मुख्यालय द्वारा भी रोज टेंडर टाइगर द्वारा टेंडर प्रदान करने की लिखित सूचना ई–मेंल द्वारा भेजी जाती है।

इस प्रकार उपरोलिखित सभी क्षेत्रों एवं जगहों पर निगम ने पैस्ट कंट्रोल सेवाओं का निरंतर विस्तार किया है और इन सेवाओं द्वारा अपने कदम सभी क्षेत्रों में मजबूत किये हैं और आगे भी पैस्ट कंट्रोल विभाग निगम के बेहतर भविष्य में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

* सहायक महाप्रबंधक (पी.सी.एस.), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

केन्द्रीय भंडारण निगम ने

केंद्रीय भंडारण निगम ने निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं वेअरहाउसों में मार्च, 2018 में अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। निगमित कार्यालय द्वारा आयोजित समारोह में श्री रविकांत, आईएएस, सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) मुख्य अतिथि तथा श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, आईएएस, अध्यक्ष, श्री जे.एस. कौशल, प्रबंध निदेशक, श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री एस. सी. मुदगेरिकर, निदेशक (एम एंड सीपी) भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने निगम की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इच्छा व्यक्त की कि यह निगम भविष्य में और भी सफलताएं हासिल करेगा।

स्थापना दिवस मनाया

श्री जे.एस. कौशल, प्रबंध निदेशक ने इस अवसर पर कहा कि निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान 1606.29 करोड़ रुपये का टर्नओवर तथा कर–पूर्व लाभ 260.59 करोड़ रुपये प्राप्त किया। प्रबंध निदेशक ने भावी योजनाओं एवं विविधीकरण के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ निगम द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों के बारे में भी बताया। प्रबंध निदेशक ने कार्मिकों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया।

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः ज्ञानवर्धक अनुभव

राकेश सिंह परस्ते*

यह लेख केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़ में 02 से 06 जनवरी, 2018 को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय "संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम" के महत्त्व एवं सार्थकता पर आधारित है। हापुड़ में जनवरी माह की कड़कड़ाती हुई ठण्ड, चारों तरफ से छाया हुआ कोहरा और सूर्य की एक किरण पाने को लालायित होता हमारा मन और फिर प्रशिक्षण वाले दिन सुबह–सबेरे शुरू हुई धीरे–धीरे मुलाकात का दौर। निगमित कार्यालय सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों से आए हुए राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ष में एक बार मुलाकात होना और एक–दूसरे के साथ विचार–विमर्श करना वाकई अद्‌भुत अनुभव देने वाला समय था।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए भी अपने–आप में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे पहली बार केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के विषय विशेषज्ञ एवं अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करना, उनके साथ रूबरू होना एवं ज्ञान का आदान–प्रदान करना निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित हुआ।

प्रशिक्षण का महत्व एवं प्रासंगिकता

निश्चित रूप से किसी कर्मचारी या संगठन के लिए प्रशिक्षण का उतना ही महत्व होता है जितना कि एक फलदार वृक्ष के समुचित विकास के लिए समय–समय पर उसकी उचित देखभाल करने की जरूरत होती है। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणताओं में वृद्धि करने का कार्य है। यह एक अल्पकालीन प्रक्रिया होती है जिससे एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य–प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल विकास, निपुणताओं, अभिरुचिओं तथा मनोवृत्तियों में सुधार होता है और उनके कार्यों में दिनों–दिन परिवर्तन एवं कार्यक्षमता में निखार आने लगता है। इस प्रकार प्रशिक्षण एक सीखने का अनुभव है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है परिणामस्वरूप उनके कार्य निष्पादन क्षमता में आशातीत वृद्धि होती है। प्रशिक्षण, प्रबंध तंत्र का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार से चाहे कोई भी प्रशिक्षण हो वह कार्यों को सही एवं प्रभावपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे उनकी कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा राजभाषा प्रशिक्षण का आयोजन

निश्चित रूप से प्रशिक्षण की इन महत्वपूर्ण उपयोगिताओं एवं अनिवार्यताओं को देखते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा प्रतिवर्ष एक प्रशिक्षण कैलेंडर जारी किया जाता है जिसके माध्यम से निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्चतर स्तर के कार्यों के लिए तैयार करने एवं पुनः अभ्यास प्रशिक्षण प्रदान करने तथा नव–नियुक्त कर्मचारियों को निगम की कार्य–प्रणाली के बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराने के उद्देश्य से और कार्यों के सफल निष्पादन एवं उन्हें प्रभावपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

निगम में राजभाषा संबंधी संविधानिक और कानूनी उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निगमित कार्यालय स्तर पर राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है तथा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अधीनस्थ अथवा नियंत्रणाधीन सभी 17 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ सभी वेअरहाउसों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी–प्रयोग एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए निगम निरंतर प्रयासरत है। निगमित कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा जिस तरह से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, निश्चित ही यह उल्लेखनीय एवं सराहनीय प्रयास है तथा हिंदी को एक वटवृक्ष की तरह सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने मार्गदर्शन रूपी ज्ञान से बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप

* हिन्दी अनुवादक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरे उत्साह के साथ लक्ष्योन्मुख होकर राजभाषा हिंदी के प्रगामी–प्रयोग के लिए हर स्तर पर कार्य संपादन किया जा रहा है। इसमें दिनों–दिन और प्रगति लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा जारी प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों में कार्यरत हिंदी से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं हिंदी का कामकाज व देख–रेख करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किया जाता है।

इसी अनुक्रम में वर्ष 2017–18 के लिए निगम के प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़ में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रहा। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा अनुवाद के विभिन्न विषयों, क्षेत्रों एवं सिद्धांतों पर सरलता एवं सहजता के साथ व्याख्यान तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण के शुभारंभ एवं समापन अवसर पर ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी सहित निगमित कार्यालय के राजभाषा अधिकारी भी उपस्थित थे जिन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के साथ राजभाषा संबंधी विषयों पर विचार–विमर्श किया तथा उपयोगी सुझाव दिये। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्वाह्न एवं अपराह्न दोनों सत्रों में इन महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान एवं प्रशिक्षण दिया गया– वाक्य संरचना तथा जटिल वाक्यों के अनुवाद की समस्याएं और उनका व्यावहारिक समाधान, अनुवाद की अवधारणा एवं सृजनशक्ति, कार्यालयीन साहित्य एवं अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष, व्यावहारिक पक्ष अंग्रेजी–हिन्दी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अनुवाद की समस्याएं, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष, वाक्य संरचना में व्यावहारिक पक्ष, व्यावहारिक समस्या का समाधान एवं अनुवाद, प्रशासनिक टिप्पण–प्रारूपण सामान्य प्रशासन नियम आदि से संबंधित अनुवाद, वाक्याशों और अभिव्यक्तियों के अनुवाद पर व्यावहारिक चर्चा, पारिभाषिक शब्दावली एवं अनुवाद व्यावहारिक चर्चा, तकनीकी एवं प्रशासनिक सामग्री का अनुवाद, व्यावहारिक पक्ष हिंदी–अंग्रेजी एवं अंग्रेजी–हिंदी, संबंधित संगठन या कार्यालय की शब्दावली और उसकी सामग्री का व्यावहारिक अनुवाद एवं अभ्यास, अनुवाद व्यवहार एवं अंत में समस्त विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा फीडबैक भी लिया गया।

उपरोक्त सभी विषयों पर दिए गए व्याख्यान एवं प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी एवं रुचिवर्धक रहा, विशेषकर वाक्य संरचना तथा जटिल वाक्यों के अनुवाद की समस्याएं और उनका व्यावहारिक समाधान, अनुवाद की अवधारणा एवं सृजनशक्ति, कार्यालयीन साहित्य एवं अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अनुवाद की समस्याएं, प्रशासनिक टिप्पण–प्रारूपण, सामान्य प्रशासन, नियम आदि से संबंधित अनुवाद, संबंधित संगठन या कार्यालय की शब्दावली और उसकी सामग्री का व्यावहारिक अनुवाद एवं अभ्यास तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक सामग्री का अनुवाद आदि विषयों पर दिए गए व्याख्यान एवं अभ्यास कार्य बहुत ही ज्ञानवर्धक रहे। प्रत्येक सत्र में अभ्यास कार्य के दौरान ऐसा लगता था जैसे हम स्कूल या कॉलेज के दिनों में फिर से लौट आए हैं। देखते ही देखते कैसे पूरे पांच दिन बीत गए पता ही नहीं चला। वाकई, अनुवाद का कार्य जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही कठिन है क्योंकि इसमें किसी एक भाषा की सभ्यता एवं संस्कृति को दूसरी भाषा की सभ्यता एवं संस्कृति में अनुवाद किया जाता है और हर भाषा की अपनी अलग–अलग विशेषताएं होती हैं जिसके अनुसार अनुवादक को सामंजस्य बैठाना होता है। वास्तव में अनुवाद का कार्य एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य है।

निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा पहली बार केन्द्रीय भण्डारण निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित उक्त पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रहा। विशेषकर अनुवाद से जुड़े प्रशिक्षार्थियों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी एवं उपयोगी साबित हुआ क्योंकि इसके माध्यम से अनुवाद में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने, शंकाओं को दूर करने तथा अनुवादकों के मन में उत्पन्न होने वाले कई तरह के सवालों का समुचित उत्तर भी विषय विशेषज्ञों से प्राप्त हुआ। इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को देखते हुए यदि इनकी प्रशिक्षण अवधि कम से कम एक महीने तक बढ़ाई जाए तो निश्चित ही निगम में कार्यरत हिंदी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुवादकों के कार्य निष्पादन में और निखार आएगा और उनके ज्ञान, कौशल विकास, निपुणता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

गिरगिट का सपना

हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न नाट्यलेखक और उपन्यासकार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी, 1925 को हुआ था। वे 'नई कहानी' आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। 'मलबे का मालिक' उनकी बहुचर्चित कहानी है। वे कथाकार के अतिरिक्त नाटककार के रूप में भी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने हिंदी की पत्रिका 'सारिका' का भी संपादन किया। 'आषाढ़ का एक दिन' नाट्य रचना के लिए और 'आधे–अधूरे' के रचनाकार के नाते उन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 'अंधेरे बंद कमरे' उनका हिंदी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जिसका अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे–अधूरे (नाटक), अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल (उपन्यास) प्रमुख हैं।

एक गिरगिट था। अच्छा, मोटा–ताजा। काफी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी–सी जगह बना रखी थी उसने। खाने–पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आस–पास जीव–जन्तु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था और हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए। हरे से बैंगनी। बैंगनी से कत्थई। कत्थई से स्याह। यह भी कोई जिन्दगी थी! यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं! सुबह उठे, तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकन्द की तरह काले! हर दो घण्टे में खुद अपने ही लिए अजनबी!

उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक साँप था। ऐसा बढ़िया लहरिया था उसकी खाल पर, कि देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे–चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वह खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वह गिरगिट न होकर साँप होता, तो कितना अच्छा था। जब मन आया, पेट के बल रेंग लिए। जब मन आया, कुण्डली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए।

एक रात जब वह सोया, तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। दो–चार कीड़े ज्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा–उलटा हुआ, पर नींद नहीं आई। आँखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हलकी–सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अन्दर धँसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिन्दा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर ख्याहमख्याह वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिन्दगी–भर जमीन के अन्दर ही दफन रहा तो ?

वह अपने को झटककर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। पर फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया है। ज्यों ही उसका सिर

बाहर निकला और बाहर की हवा अन्दर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर साँप के सिर जैसा था। वह पूरा जमीन से बाहर आ गया, पर साँप की तरह बल खाकर चलता हुआ। अपने शरीर पर नजर डाली, तो वही लहरिया नजर आया जो उस पास वाले साँप के बदन पर था। उसने कुण्डली मारने की कोशिश की, तो कुण्डली लग गई। फन उठाना चाहा तो, फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह साँप बन गया था।

साँप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे–चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी–जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर–काँटे चुभे, उनकी उसने परवाह नहीं की। नया–नया साँप बना था, सो इन सब चीजों को नजर–अन्दाज किया जा सकता था पर थोड़ी दूर जाते–जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया।

उस नेवले की शायद पड़ोस के साँप से पुरानी लड़ाई थी। साँप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदले ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आँखें एक चुनौती के साथ चमक रही थीं। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आँखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह साँप न बनकर नेवला बन गया होता।

तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर गरदन निकल आई है और पीछे को झबरैली पूँछ। जब वह अपने को झटककर आगे बढ़ा, तो लहरिया साँप एक नेवले में बदल चुका था।

उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई साँप नजर आए, तो उसे वह लपक ले। पर साँप वहाँ कोई था ही नहीं। कोई साँप निकलकर आए, इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना–कूदना शुरू किया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता। कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वह जोर–से उछला तो पेड़ की टहनी पर टँग गया। टहनी का काँटा जिस्म में ऐसे गड़ गया कि न अब उछलते बने, न नीचे आते। आखिर जब वह बहुत परेशान हो गया, तो वह मनाने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब न रेंगने की जरूरत पड़ती, न उछलने–कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं।

नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब उसे कोई वास्ता नहीं था। वह जिन्दगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अन्दर से कुछ पत्तियाँ फूटने वाली हों। उसने सोचा कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा, तो उसका क्या रंग होगा ? और क्या वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा ?

पर तभी दो–तीन कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था! जब चाहो, जिस टहनी पर जा बैठो, और जब चाहो, हवा में उड़ान भरने लगो!

अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए। पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ–साथ आसमान भी उसके नीचे था और वह ऊपर–ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काँय–काँय की। पर तभी नजर पड़ी, नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए उसे

निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आँखें मूँद लीं। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा, तो उसने आँखें खोल लीं। वह अपनी उसी जगह पर था, जहाँ सोया था। पंख–वंख अब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे–चमगादड़ आस–पास मण्डरा रहे थे और साँप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा चखा पाता।

जोखिम वाले माल का भंडारण– सावधानियाँ

1. सामग्री संरक्षा डैटा शीट (एमएसडीएस) प्राप्त करें और स्टैक पर प्रदर्शित करें।
2. पैकेजों पर दिए गए रखरखाव चिह्नों का पालन करें।
3. निर्धारित ऊँचाई तक ही स्टैक करें।
4. क्षतिग्रस्तं पैकेजों को अलग करें।
5. सामग्री संरक्षा डैटा शीट के अनुसार स्पिलेज का रखरखाव करें।
6. वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें।
7. असंगत वस्तुओं के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
8. रिसाव आदि के लिए भंडारित वस्तुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें।
9. हवा की आवा–जाही की उपयुक्त व्यवस्था रखें।
10. उपयुक्त अग्निशमन यन्त्र तथा बाल्टियां उपलब्ध कराएं।
11. फर्श पर पैकेजों को न घसीटें।
12. रसायनों का रखरखाव करने के बाद हाथ धोए बिना न पानी पिएं और न कुछ खाएं।
13. रिसाव होने वाले एवं क्षतिग्रस्त पैकेजों को बिना प्रलेखीकरण स्वीकार न करें।
14. अप्रशिक्षित व्याक्तियों को वस्तुओं का रखरखाव करने की अनुमति न दें।
15. उचित डनेज के बिना वस्तुओं का भंडारण न करें।
16. पैकेजों को गलियारों में न छोड़े।
17. स्टैक में असंगत वस्तुओं को एक साथ न रखें।
18. गोदामों में गंदगी या धूल को जमा न होने दें।
19. जब गोदाम बन्द हों तब बिजली के स्विच चालू न रखें।
20. रसायन वाले गोदामों में आग लगने पर पानी या पानी कार्बनडाईआक्साइड किस्म के आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग न करें।

केन्द्रीय भण्डारण निगम में पैंतीस साल का सफरः एक अनुभव

देवकी वी. चतुरानी*

मेरा जन्म भारत माता की इस पावन धरती पर वर्ष 1958 को हुआ और केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना ठीक मेरे जन्म से एक वर्ष पहले हुई यानि सन् 1957 में सिर्फ 7 हजार मीट्रिक टन के केवल 7 वेअरहाउसों के साथ निगम ने कार्य प्रारंभ किया था और आज 9.96 मिलियन टन भण्डारण क्षमता के 433 वेअरहाउस चला रहा है।

मैं इस लेख के माध्यम से केन्द्रीय भण्डारण निगम में गुजारे हुए पैंतीस साल के अपने अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयास कर रही हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि हरेक को अपने नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले न कुछ हासिल हुआ है और न ही होगा। ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ जब मैंने वर्ष 1979 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की तो घर पर बैठकर मन में विचार आने लगा कि आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाई जाए या कोई नौकरी की जाए। इसी विचार–मंथन के दौरान जुलाई 1982 में मैंने एक प्राइवेट कंपनी में टाइपिस्ट के पद पर 300 रु. मात्र के मासिक वेतनमान पर ड्यूटी ज्वाइन की और उस कम्पनी में कार्य करते हुए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। पूरा दिन टाइपिंग का कार्य करने के बाद थकी–हारी जब घर में आती थी तो इस तरह नींद आती जैसे मैं मीलों दूर पैदल चलकर आई हूँ। ठीक तीन माह बाद इम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से केन्द्रीय भण्डारण निगम में क्लर्क के पद की भर्त्ती हेतु इन्टरव्यू लेटर आया, लेकिन मैं जिस आफिस में कार्य कर रही थी वहां सभी के सहकार और व्यवहार से इतना संतुष्ट थी कि मैं इस इन्टरव्यू के लिए जाने से मना कर रही थी क्योंकि मुझे इन्टरव्यू देने के लिए कांडला जाना था और कांडला की दूरी गांधीधाम से 13 किलोमीटर थी लेकिन मेरे इन्चार्ज ने मुझे सलाह दी कि इस प्राइवेट कम्पनी में कार्य करके क्यों अपना भविष्य खराब कर रही हो। आपको एक सरकारी नौकरी के लिए इन्टरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ है तो कम–से–कम अनुभव के लिए इन्टरव्यू तो देना ही चाहिए भले ही इन्टरव्यू देने के बाद यदि चयन हुआ भी तो आप ज्वाइन करें या ना करें, यह बाद में देखा जाएगा लेकिन यह सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दो और इस तरह मैं अपने इन्चार्ज सर के कहने पर इन्टरव्यू देने के लिए कांडला गई और वहां मैंने देखा कि पहले से ही पांच–छह उम्मीद्वार बैठे हुए थे, हम सभी ने सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा दी जिसमें मेरे अंक सभी लोगों से ज्यादा आए और कुछ ही दिनों बाद निर्माण खण्ड से मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ और 4 अक्तूबर, 1982 में मैंने निर्माण खण्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय से लिखित परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल लेटर आया और उसमें भी मैं उत्तीर्ण हुई और मेरी पोस्टिंग पोर्ट ऑपरेशन ऑफिस, गांधीधाम में भण्डारण सहायक ग्रेड–II के पद पर हुई, जहाँ मैंने 13 जनवरी, 1983 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। फिर 1983 से 1987 तक का समय कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा, जैसे समय को पंख लग गए थे। वर्ष 1987 में पोर्ट ऑपरेशन ऑफिस बंद होने के कारण मेरी पोस्टिंग सैंट्रल वेअरहाउस, कांडला–I में कर दी गई, वहीं पर मेरा प्रोमोशन भण्डारण सहायक ग्रेड–I में हुआ। इस प्रकार 1987 से लेकर 2002 तक मैंने कांडला–I में कार्य किया इसके बाद 2002 में ही निर्माण खण्ड जिसका ऑफिस सीएफएस, गांधीधाम में था, वहां एक अच्छे टाइपिस्ट की जरूरत थी, जिसके लिए मेरा वहां स्थानान्तरण किया गया। वहाँ पर कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता के अधीन मैंने कार्य किया, अब तक मैंने वेअरहाउसों में काम किया था, जहाँ डिपोजिट, डिलीवरी एवं कैश से संबंधित कार्य कर रही थी लेकिन निर्माण खण्ड में जो मुझे कार्य सौंपा गया था वो विपरीत था लेकिन सभी स्टॉफ के सहयोग से मैंने वह कार्य भी सीख लिया और वहीं पर मेरी पदोन्नति कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर हुई। भण्डारगृह और निर्माण खण्ड की कार्य–प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर था, कहाँ बोरों की गिनती और हिसाब किया जाता था लेकिन निर्माण खंड में विभिन्न प्रकार के बिलों का हिसाब–किताब करना था। कहते हैं सभी के पास प्रतिभा नहीं होती पर उसको विकसित करने का अवसर जरूर मिलता है, वही मेरे साथ भी हुआ। मैं इस तरह से धीरे–धीरे सभी कार्यों में पारंगत होती गई पर कहते हैं कि नदी के

* अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

बहते पानी को हम दुबारा छू नहीं सकते, जो बह गया उसकी जगह दूसरा पानी आ जाता है। निर्माण खण्ड, गांधीधाम में मेरे पाँव जमे ही थे कि मेरा स्थानान्तरण सीएफएस, स्क्रैप यार्ड कांडला में हुआ। इसके बाद एक वर्ष तक वहां ड्यूटी करने के बाद सीएफएस, स्क्रैप यार्ड से सीएफएस, गांधीधाम स्थानान्तरण हो गया और इसके बाद सीएफएस गांधीधाम से मेरा स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में हुआ जहाँ मैंने 21 सितम्बर, 2012 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार शुरूआत में तो क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यप्रणाली अटपटीं लगने लगी क्योंकि वेअरहाउस या निर्माण खण्ड की कार्य–प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालय की कार्यप्रणाली में बहुत भिन्नता होती है और इसीलिए मैंने सिर्फ तीन महीने में ही स्थानान्तरण के लिए अनुरोध किया। पर कहा जाता है कि बन्दे के मन में कुछ अलग और ऊपर वाले की मन में कुछ और होता है। शायद मेरा दाना–पानी यहीं था इसीलिए क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य करते–करते पांच वर्ष बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला और नौकरी का अंतिम पड़ाव यानी कि सेवानिवृत्ति भी अब दिसंबर, 2018 में है। क्षेत्रीय कार्यालय में जो कार्य जिन्दगी के 30 सालों में मैंने नहीं किये थे वो मैंने यहाँ किए। यहाँ मैंने सभी सहकर्मियों के सहयोग से बहुत कुछ सीखा और यहाँ किये गए कार्यों से मैं सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे दो बार हापुड़ में और एक बार निगमित कार्यालय में प्रशिक्षण लेने का मौका प्राप्त हुआ।

जैसे धरती में एक बीज डालने से वह बीज पहले कली, फिर वृक्ष बन जाता है और वही वृक्ष सभी को बिना किसी भेद–भाव के फल–फूल और छाया प्रदान करता है, उसी तरह हमारा केन्द्रीय भण्डारण निगम भी एक वट वृक्ष के समान है। पैंतीस सालों के इस लंबे सफर में केन्द्रीय भण्डारण निगम ने मेरी झोली भर दी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी और मैं निगम की अंतिम साँस तक शुक्रगुजार रहूंगी। जितना मुझे दिया है, उससे कहीं ज्यादा आने वाली नई पीढ़ी को मिलेगा और नई भर्ती से आने वाले कार्मिकों को, जिनकी पोस्टिंग दूर होने की वजह से वे शुरू से ही निराश एवं हताश हो रहे हैं, उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि

"कभी न कहो कि दिन खराब है,
समझ लो हम कांटो से घिरे गुलाब हैं,
रखो हौसला मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास समुन्दर भी आएगा
थक–कर न बैठो ए मंजिलों के मुसाफिरों,
मंजिलें भी मिलेंगी और जीने का मजा भी आएगा"

रचनाकार कृपया ध्यान दें:

- ⇨ कृपया पत्रिका में प्रकाशन के लिए लेख सीधे निगमित कार्यालय के राजभाषा अनुभाग के मेल : **rajbhasha.cwc@gmail.com** पर या डाक द्वारा भेजें।
- ⇨ रचनाएं भेजते समय कृपया इस बात का ध्यान रखें कि वह स्तरीय हो तथा समाज, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़ी हुई हो।
- ⇨ भंडारण से संबंधित रचनाओं को प्रकाशन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी तथा प्रकाशित रचनाओं पर पुरस्कार या मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- ⇨ लेख के साथ इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि लेख या रचना लेखक की मौलिक रचना है।
- ⇨ यदि किसी कारणवश लेख या रचना पत्रिका में प्रकाशित करनी संभव न हो तो उसे लौटाया नहीं जाएगा।
- ⇨ निगम के सेवानिवृत अधिकारी एवं कर्मचारी भी अपनी रचनाएं प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। यदि वे पत्रिका पढ़ने के इच्छुक हों तो अपना पता इस कार्यालय को भेज दें ताकि उन्हें पत्रिका भेजी जा सके।
- ⇨ आप अपनी रचनाएं निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:–

प्रबंधक (राजभाषा), केन्द्रीय भंडारण निगम,
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग
हौज खास, नई दिल्ली–110016

जल जीवन या संकट

प्रदीप कुमार साव*

शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। वायुमंडल में जल तरल, ठोस और वाष्प तीन स्वरूपों में पाया जाता है। आधारभूत पंच तत्वों में से एक जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल ही जीवन है जिसका कोई मोल नहीं है। बड़ी–बड़ी सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित हुई हैं। ऋग्वेद में जल को अमृत के समान माना गया है। राष्ट्रीय जल नीति, 1987 के अनुसार जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति ने हवा और जल प्रत्येक जीव के लिए निशुल्क प्रदान किए हैं।

प्रकृति के तत्वों जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में से जल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो सीमित है। शुद्ध जल जहां एक ओर अमृत है वहीं दूषित जल, विष और महामारी का आधार। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न सिर्फ जल का संरक्षण करें बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचाएं।

मानव शरीर का लगभग 66 प्रतिशत भाग पानी से बना है और वयस्क के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 37 लीटर होती है। मानव मस्तिष्क का 75 प्रतिशत हिस्सा जल होता है। शरीर में जल की मात्रा शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखती है।

यहां पर यह कहना उचित होगा कि पिछले कुछ दशकों से भारत में जल संकट गहराता जा रहा है। जल की मांग के अनुसार, शुद्ध जल की कमी जल संकट को लाती है। आने वाले समय में जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बन कर उभर सकता है। दक्षिण अफ्रिका का केपटाउन शहर इसका साक्षात उदाहरण है।

पृथ्वी में उपलब्ध कुल जल का लगभग 97 प्रतिशत जल नमकीन और लगभग 3 प्रतिशत जल साफ है, जिसमें से केवल 0.014 प्रतिशत ही शुद्ध पेयजल है। जल के असमान वितरण के कारण कहीं भयानक सूखा पड़ता है तो कहीं डरावनी बाढ़ आती है। जल की कमी को दो भागों में दर्शाया जा सकता है।

क) **भौतिक जल की कमी :** भौतिक जल की कमी का मुख्य कारण प्राकृतिक जल संसाधन का मांग के विपरीत और असामान्य वितरण है।

ख) **आर्थिक रूप से जल की कमी :** इसका मुख्य कारण उपलब्ध जल संसाधनों का गलत तरीके से प्रबंधन करना है। यह जल संसाधनों की संरक्षण तकनीक और भूमि स्वरूप की व्यवस्था में निवेश की कमी के कारण भी होता है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने जल संकट को ध्यान में रखते हुए जल की पांच मुख्य विशेषताओं को बताया है जो इस प्रकार हैं– प्रत्येक मनुष्य को साफ, पर्याप्त मात्रा में, स्वीकार्य, शारीरिक रूप से सुलभ और सस्ते पानी का अधिकार है जो उनके व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए जरूरी है।

धरती पर उपलब्ध यह संपूर्ण जल एक निर्दिष्ट जल चक्र में चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः मीठे जल का 52 प्रतिशत झीलों और तालाबों में, 38 प्रतिशत मृदा में, 8 प्रतिशत वाष्प, 1 प्रतिशत नदियों और 1 प्रतिशत वनस्पति में निहित है। लेकिन अत्यधिक जनसंख्या जल के संकट को बढ़ाती जा रही है। आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या विस्फोट से जल की खपत और प्रदूषण बढ़ने के कारण, जल चक्र बिगड़ता जा रहा है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस तरह वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या लगभग 170 से 180 करोड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जल की उपलब्धता को बनाए रखना कठिन चुनौती होगी। आज देश में कई बीमारियों का एकमात्र कारण प्रदूषित जल का सेवन है।

जल के बिना सुरक्षित किले संधारणीय विकास का विचार एक कल्पना मात्र है। पानी संरक्षित दुनिया खुशहाली लाती है, शिक्षा को बढ़ावा देती है, जीवन के

* वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (लेखा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

स्तर को ऊंचा करती है। आज के समय में जल प्रबंधन की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या बन कर उभर रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसके कारण कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ग्लेश्यिर और भूमिगत जल ही शुद्ध जल का प्रमुख स्रोत है परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण भूमिगत जल में तेजी से गिरावट हो रही है। जल संकट के कुछ कारण इस प्रकार हैं :–

i) जलवायु परिवर्तन
ii) जनसंख्या विस्फोट
iii) औसत वर्षा में गिरावट
iv) प्रति व्यक्ति जल खपत में वृद्धि
v) भूमिगत जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग
vi) लोगों में जागरूकता का अभाव
vii) जल की गुणवत्ता की समस्या
viii) ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों में जल की कमी
ix) क्रियान्वित योजनाओं से पर्याप्त जल का अभाव
x) पाइप लाइनों में तोड़फोड़ की समस्या
xi) प्राकृतिक जलचक्र में बाधा

जल जीवन का आधार है। जल संकट का सही समाधान खोजना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बनती है और हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी ऐसी ही जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। जल संकट से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं:–

1) प्रत्येक फसल के लिए अधिकतम जल की आवश्यकता का निर्धारण किया जाना चाहिए।
2) विभिन्न फसलों के लिए पानी की कम खपत वाले और अधिक पैदावार वाले बीजों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
3) जल शिक्षा को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जगह दी जाए।
4) जल संरक्षण कार्य को सामाजिक संस्कारों से जोड़ा जाना चाहिए।
5) जल प्रबंधन और जल संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
6) वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
7) वर्षा जल प्रबंधन और मानसून प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए।
8) औद्योगिक विकास और व्यावहारिक जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए कड़े और पारदर्शी कानून बनाए जाएं।
9) जल संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
10) ऐसी विधियों और तकनीकों की आवश्यकता है जिससे लवणीय और खारे पानी को मीठा बनाकर उपयोग में लाया जा सके।
    i) प्रदूषित जल का उचित उपचार किया जाए और इस उपचारित जल की आपूर्ति औद्योगिक इकाइयों में की जाए।
    ii) जल प्रबंधन और शोध कार्यों में निवेश को बढ़ाया जाए।
11) पानी के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
12) नदियों और तालाबों को प्रदूषण मुक्त रखा जाए।
13) नदियों और नालों पर डैम बनाए जाएं और खेतों में वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाए।
14) अत्यधिक जल दोहन रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं।
15) नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उस क्षेत्र के अधिकारी और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
16) जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए।
17) समुद्री जल का शोधन कर कृषि कार्यों में उपयोग किया जाए।
18) रेन वाटर हारवेस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए।
19) बरसाती जल को गड्ढे के जरिए सीधे धरती के भूगर्भीय जल भंडार में उतारा जाए।
20) तालाबों, पोखरों के किनारे वृक्ष लगाने की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए।

जब तक जल के महत्व का बोध हम सभी के मन में नहीं होगा, तब तक इस स्थिति में सुधार संभव नहीं है। वक्त रहते जल संरक्षण पर ध्यान न दिया गया तो हो सकता है कि जल के अभाव में अगला विश्वयुद्ध जल के लिए हो तो इसमें आश्चर्य नहीं बल्कि हम सब और यह संपूर्ण मानव समाज इसके जिम्मेदार होंगे।

जल जीवन है। जल मनुष्य के जीवन का आधार है। इसे मनुष्य के जीवन के लिए संकट न बनने दिया जाए तो अच्छा होगा।

भारतीय किसान की स्थिति, समस्याएं एवं सुझाव

एस.पी. तिवारी*

देश में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यदि फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई के बाद प्राप्त उपज की कीमत देखी जाए तो उसकी हालत निर्वाह मात्र (हैंड टू माउथ) ही है। देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है जो कृषि पर निर्भर है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसान की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है। आज देश की आजादी के 72 वर्ष बाद भी किसान की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। कुछ नाममात्र के किसान हैं जिनकी स्थिति बेहतर हुई है। वैसे किसान को त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति कहा जाता है लेकिन उन्हें इस त्याग और तपस्या का कोई प्रतिफल नहीं मिल पाता। अगर किसान की खेती अच्छी नहीं होगी तो पूरे देश को भुखमरी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। लोग कहते हैं किसान भारत की आत्मा है। खेती के साथ–साथ वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने का कार्य करता है। यही कारण है कि देश के प्रत्येक प्रांत की भाषा, पहनावा तथा सभ्यताओं में भिन्नता है। भारत भिन्नताओं का देश होते हुए अनेकता में एकता का प्रतीक है।

किसान अन्न, फल व सब्जी उगाकर गाँवों व शहरी आबादी को पहुंचाता है लेकिन उसे अपनी फसल को तैयार करने में लगी लागत भी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है।

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिएः–

1. भूमि का उचित प्रबंधन

देश की स्वतंत्रता से आज तक किसी भी सरकार द्वारा भूमि के उचित प्रयोग के बारे में किसानों को भूमि के प्रबंधन के प्रशिक्षण का प्रबंध नहीं किया गया। अशिक्षित किसान को यह मालूम नहीं होता कि किस किस्म की भूमि पर कौन–सी फसल उगाई जाए। सरकार द्वारा भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई जो नाममात्र की हैं, जिनके बारे में लगभग 90 प्रतिशत किसानों को जानकारी नहीं है।

किस किस्म की भूमि पर कौन–सी फसल ली जाए इसकी जानकारी के लिए राज्य सरकारों द्वारा ब्लॉक स्तर पर कृषि प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाए तथा उस क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए जिससे किसानों को भूमि की किस्म के अनुसार फसल लेने की जानकारी हो सकेगी जिसका उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2. कृषि विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना

देश की जनसंख्या लगभग 1.25 अरब है जिसकी 70 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। कृषि तकनीक व आधुनिक कृषि उपकरणों, फसल का चुनाव व रासायनिक खादों के प्रयोग की समुचित जानकारी उसे नहीं होती। इतने बड़े देश, जिसकी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर हो उस देश में कृषि स्कूलों या विद्यालयों व विश्वविद्यालयों का दूर–दूर तक अभाव होना चिंता का विषय है। इन नाममात्र के कॉलेजों में गुणवत्तापरक शिक्षा एवं कृषि प्रयोगशालाओं का अभाव है। भूमंडलीकरण के दौर में विदेशी कंपनियों द्वारा अपनी तकनीक के प्रचार–प्रसार के लिए किसानों की अशिक्षा के कारण किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाते।

राज्य सरकारों को कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक कृषि माध्यमिक स्कूल जिसमें आवश्यक कृषि प्रयोगशालाओं की उपलब्धता हो, खुलवाना चाहिए। इससे बच्चों को भूमि को उपजाऊ बनाने, फसल चुनाव, रासायनिक खादों के प्रयोग संबंधी जानकारी, कृषि उपकरणों, बीजों का चुनाव, बुवाई का समय, कीट नियंत्रण, निराई गुड़ाई की जानकारी, प्राप्त हो सकेगी जिसके प्रयोग से वे अपनी खेती में सुधार कर सकेंगे।

3. खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण करना

प्रायः सरकारें बंजर या जंगली भूमि का अधिग्रहण करने की बजाय कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करके सार्वजनिक हित की संस्थाओं जैसे औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचागत विकास, शिक्षा संस्थानों तथा आवास योजनाओं इत्यादि का निर्माण करवाती हैं, जिसकी वजह

* सहायक प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

से दिनों दिन कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। भूमि अधिग्रहण के बाद किसान बेरोजगार हो जाता है और कुछ दिनों बाद जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो उसे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत कम किसान ऐसे होते हैं जो उस पैसे को अच्छी प्रकार निवेश कर पाते हैं।

यदि सरकार किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करती है तो वह किसान से क्रय न करके पट्टे पर ले और वह मासिक आधार पर पट्टा किराया देती रहे तथा एक निश्चित अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करें। इसके साथ ही किसान को उसकी जमीन पर बने संस्थान का अंशधारी बनाकर लाभांश भी दिया जा सकता है। इस प्रकार खेती योग्य भूमि बनी रहेगी, किसान को एकमुश्त राशि नहीं देनी पड़ेगी, वह बेरोजगार नहीं होगा तथा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

4. समय पर ऋण उपलब्ध न होना

राज्य सरकारों द्वारा फसली ऋणों की व्यवस्था सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान कराई जाती है। समय पर किसान को फसली ऋण न मिलने के कारण वह पूंजीपतियों व महाजनों के चक्कर में फंस जाता है और उनसे 10 से 15 प्रतिशत मासिक ब्याज पर ऋण लेकर उनके चंगुल में फंस जाता है। कृषि मानसून पर आधारित है। जब मानसून अच्छा नहीं होता तो फसल खराब हो जाती है। दूसरी तरफ महाजन के ब्याज का मीटर दौड़ता रहता है। फसल खराब होने के कारण न वह ब्याज वापस कर पाता है, न मूलधन। इस स्थिति में कभी–कभी वह मौत को गले लगा लेता है।

ऐसी स्थितियों को देखते हुए सरकार को कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फसली ऋण की व्यवस्था बैंकों द्वारा करवानी चाहिए और सूखा, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदा के बाद नष्ट हुई फसल पर लिए गए ऋण की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसानों को अगली फसल को बेचकर बैंक का कर्ज अदा न करना पड़े।

5. अच्छे बीज, खाद, पानी व कीटनाशक की अनुपलब्धता

फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज, खाद व पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। बुआई के समय इन मदों की कीमत पहले से अधिक बढ़ जाती है जिसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे सरकार सहकारी समितियों द्वारा इन्हें उपलब्ध करवाने का दावा करती है लेकिन यह दावा पूरा नहीं होता। कुछ बड़े व्यापारी साहूकार खाद एवं बीज को सीमा से अधिक रोककर कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं जिससे किसान महंगी दरों पर इन्हें खरीदता है जिसका उत्पादन लागत पर बुरा असर होता है।

सरकार को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज, कीटनाशक व पानी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसान को इन्हें महंगे दामों पर न खरीदना पड़े।

6. क्रय–विक्रय की उचित व्यवस्था न होना

किसान फसल तैयार होने के बाद जैसे ही बाजार में पहुंचता है वैसे ही उसकी दरें गिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसान उसे कहां ले जाए या तो वह इसे सस्ते दर पर बेच दे या किराया भाड़ा लगाकर फिर वापस घर लाए। इस परेशानी से बचने के लिए उसे मजबूरी में अपनी फसल सस्ती दर पर बेचनी पड़ती है। किसान अपनी फसल बेच कर ही शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई व अन्य दैनिक खर्च निपटाता है। वह अपनी फसल घर पर रोककर जीवित नहीं रह सकता और न ही वह हड़ताल कर सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यदि किसान में फसल रोककर हड़ताल करने की क्षमता होती तो उसकी फसल की दरें सरकार द्वारा घोषित न करके किसान द्वारा घोषित की जाती। तब उसे उसकी फसल का उचित मूल्य मिल पाता।

यह सर्वविदित है कि जब फसल तैयार होती है उस समय बिचौलिए सस्ती दर पर खरीद लेते हैं और जब बाजार में उसकी कमी हो जाती है तो उसे महंगे दामों में बेचते हैं। यही कारण है कि कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी लहसुन और कभी दालों के रेट आसमान छूने लगते हैं जिसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं।

इन समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम, सब्जी और फलों के भंडारण के लिए शीतगृह बनवाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे किसान अपने उत्पाद को अपनी इच्छानुसार समय पर निकाल कर अच्छे दामों पर बेच सकें।

7. कृषि आधारित उद्योग–धंधों का अभाव

गांव में कृषि आधारित उद्योग–धंधों जैसे दूध डेरी, बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, फ्लोर मिल, राइस मिल, तेल कोल्हू, पापड़, बड़ियाँ, अचार इत्यादि का अभाव है। गांव से शहर की ओर पलायन का मुख्य कारण भी यही है कि लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है।

सरकार को उपरोक्त कृषि आधारित उद्योग–धंधों की स्थापना के लिए नवयुवकों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे उनको घर पर ही रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके तथा शहरों की ओर पलायन भी रुक सके।

८. गांव का सड़क मार्ग से कृषि उत्पादन मंडी समितियों से न जुड़ना

अभी भी अधिकतर गांव सड़क मार्ग से शहरों से नहीं जुड़ पाए हैं जिससे किसान अपनी फसल कृषि उत्पादन मंडी समितियों तक नहीं ले जा पाता जिससे उसे अपनी फसल सस्ती दर पर गांव के साहूकारों को ही बेचनी पड़ती है। सड़कें किसी भी देश की रीढ़ मानी जाती हैं। बिना सड़कों के विकास के कोई देश विकसित नहीं हो सकता।

किसानों की उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के बाद ही किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अतः राज्य सरकारों को प्रत्येक गांव को शहर एवं कृषि उत्पादन मंडी समितियों से जोड़ने का संकल्प लेना चाहिए जिससे कि गांव का चहुंमुखी विकास हो सके और किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

भारतीय किसान कि उपरोक्त समस्याओं को दूर करके सरकार उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती है।

गौरैया

बंश नारायण*

दिखी एक गौरैया,
बहुत दिनों के बाद
मन मलीन था उसका,
पूछा क्यों हो उदास
अब दिखती नहीं तुम,
नहीं गूँजती अब किलकारी,
और न बजती बांसुरी प्यारी,
सुबह–सुबह धुन
मधुर सुना जाती थी,
समय मधुर बना जाती थी तुम,
तेरी धुन में हम भी मदमस्त,
खेलते अपना बचपन,
मिट्टी में तुम्हारा नहाना देखकर
होता था हमारा मन भी चंचल,
फुदक–फुदक कर तुम,
अपनी व्यस्तता जताती थी,
अपने चंचल मधुर धुन में तुम
अपना अहसास दिखलाती थी,
तुम्हारी चंचलता बाँधती थी,
मेरे गले में घंटी
साथ तुम्हारे मैं भी
मदमस्त हो उठता था,
भागता था तेरे पीछे
मैं अपने नन्हें पग से,
थोड़ी मिट्टी मुख में,
थोड़ी लिए हाथ में,
फिरता तेरे पीछे,
अब कहाँ गायब हो तुम रहती,
क्या तुम्हें अहसास नहीं?
आज भी कोई तुम्हारा राह ताकता है,
मन ही मन तुम्हारी मधुर
स्मृतियों को याद कर हँसता है,
आओ फिर से
बनाओ, अपना नया बसेरा,
बुझे हुए निराश मन से
उठाए सर को
देखती है ऊँचे–ऊँचे,
मोबाइल टावर को
और फिर एक नजर
मेरे मकान की ओर,
प्रश्न भरे नज़रों से
पूछती है,
है कहाँ रोशनदान
फूस का दालान,
और झरोखा,
जहाँ बनाए
अपना नया बसेरा?

* वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (प्रचार), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और संविधान

नन्हेलाल*

प्रथम विश्व युद्ध 1914–1919 तक एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939–1945 तक चला तब तक दुनिया की सेनाएं थक चुकी थीं, दुनिया आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। ब्रिटेन के 1945 के चुनाव के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत को आजाद करने की तथा सत्ता हस्तांतरण की बात कही। इसके पहले यह भी कहा गया कि भारत का संविधान बनाया जाए। इस संबंध में कांग्रेस की संविधान सभा की पहली बैठक 09 दिसंबर, 1946 को डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में दिल्ली के संविधान भवन में हुई। बाद में 11 दिसंबर, 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया।

संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी जिसमें से 292 सदस्य देश के ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि, 93 सदस्य भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि और चार चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। किंतु पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 90 सदस्यों की संख्या कम हो गई और संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये।

संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए पूरे देश में असेम्बली का चुनाव कराया गया। इसके लिए कम से कम चार विधायकों का समर्थन जरूरी था।

ऐसी स्थिति में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भी अपनी पार्टी शेडयूल्ड कास्ट फैडरेशन ऑफ इण्डिया से चुनाव लड़ा, किंतु एक भी विधायक जीत कर नहीं आया और डॉ. अम्बेडकर का संविधान सभा में पहुंच पाना नामुमकिन हो गया।

ऐसी स्थिति में जोगेन्दर नाथ मंडल ने जो बंगाल से मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल की जेशोर और खुलना सीट से चुनाव लड़ाया गया और एक एंग्लो इंडियन निर्दलीय दलित प्रत्याशी और मुस्लिम लीग के विधायकों के समर्थन में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने में जीत हासिल की।

1947 में बंगाल के बंटवारे के समय बंगाल की बाबा साहब अम्बेडकर की सीट बांग्लादेश में चली गई, जिससे संविधान सभा में उनके लिए एक बार फिर ख़तरा पैदा हो गया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री से जब इसकी शिकायत की गई तब बंगाल की जेशोर और खुलना सीट को भारत में ही रखा गया और डॉ. अम्बेडकर संविधान सभा की एक मजबूत स्थिति में बने रहे।

बाबा साहब अम्बेडकर के विवेकशील संवैधानिक विचार और ज्ञान को देखते हुए 29 अगस्त, 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में सात सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष), गोपाली स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए. माधव राव (जिन्हें बी. एल. मिल के स्थान पर) तथा डी. पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद, टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया।

संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुईं। पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 से 23 दिसंबर, 1946 तक चली, दूसरी बैठक 20 जनवरी, 1947 से 25 जनवरी, 1947 तक चली और तीसरी बैठक 28 अप्रैल से 02 मई, 1947 तक चली। इस तरह संविधान सभा की कुल 11 बैठकों में 165 दिन और 6.4 करोड़ रुपये का खर्च आया।

संविधान सभा के सदस्य तथा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया और देश के संविधान का निर्माण किया। संसदीय कार्यप्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। मौलिक अधिकार, जजों को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, आपातकाल का सिद्धांत, राष्ट्रपति शासन का सिद्धांत जर्मनी से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से तथा मूल कर्तव्य का सिद्धांत रूस से लिया गया।

* अधिशासी अभियंता, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

संविधान सभा में सदस्यों द्वारा कुल 7635 संशोधन के मुद्दे उठाए गए जिसमें से 2473 संशोधनों पर अमल किया गया।

26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, जिसमें कुल 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा। 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें 284 सदस्यों ने दस्तख़त किए और 26 जनवरी, 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया।

भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं, किंतु वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा कि अगर किसी देश का संविधान बहुत खराब है किंतु उसके चलाने वाले अच्छे हैं, तब संविधान अच्छा साबित होगा और अगर चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, तब देश का अच्छा संविधान भी बेकार साबित होगा।

देसी फसलें हो रही लुप्त, नगदी फसल पर ज़ोर

अवनीश प्रकाश*

कम खर्च पर अधिक उपज के साथ अच्छी आय देने वाली फसलों को बढावा देने के लिए किसान ने पुराने व पारपंरिक फसलों के साथ–साथ औषधीय गुणों वाली कई फसलों को उपजाना ही छोड़ दिया है। ऐसे में कई देसी फसलें ग्रामीण क्षेत्र से भी लुप्त हो गई हैं। नगदी फसलें, वे फसलें, जिन्हें किसान शुद्ध आर्थिक लाभ के लिए, बिना अपनी आवश्यकता के बोता है, जैसे गन्ना, कपास, चाय, जूट इत्यादि।

एक समय कोसी इलाके में खेरी का भूजा व भात लज़ीज़ व्यंजन के साथ–साथ शरीर के लिए भी लाभदायक हुआ करता था। इसमें औषधीय गुण भी पाया जाता था। पहले के समय में कोसी इलाके के किसानों की प्रमुख फसलों की खेती में खेरही, कौनी, बाजरा, लडकटिया, तीसी, कुरथी, तुलबुली, मकई, देसी अरहर जिसकी अपनी सुगंध से पहचान होती थी। इसके अलावा धान की जाया, कुसुमकैतकी, पैरनापैंख, कामौध और चंद्रचूड आदि नस्ल की फसल प्रमुख थी। जिसे अब किसानों ने हाइब्रिड उपजाने के लिए देसी नस्ल की औषधीय गुण वाली फसलों की खेती उपजाना ही छोड़ दिया है। इस वजह से खास की बात तो दूर आम किसान की थाली से भी यह गायब हो गई हैं। जबकि उक्त फसलों की खेती कोसी के इलाके में अधिकाधिक किसान करते थे। जबकि इन सभी फसलों में प्रोटीन, कैल्शियम सहित अन्य विभिन्न शक्तियां पाई जाती हैं जो कई बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद हैं। अगर पुरानी प्रजाति की इन सभी फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो अधिक फायदे के साथ–साथ किसानों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। खेरही का भात व भूजा फायदेमंद था। वहीं कुरथी की दाल के साथ–साथ उसका पानी पेट संबंधी रोग में काफी फायदेमंद है। बेहतर उत्पादन व अधिक कमाई की चाह के साथ होने वाली खेती ने पुरानी व देसी और औषधीय फसल को लील लिया है। जिसे सूबे के कृषि विभाग की ओर से इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी इन सभी फसलों के नाम तक भूल जाएगी। अब तो पर्व त्योहार में भी उक्त फसल की जरूरत पड़ने पर खुले बाजार में मंहगी दर पर खरीदारी करनी पड़ती है।

* कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सैंट्रल वेअरहाउस, मधेपुरा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

केंद्रीय भंडारण निगम की विकास यात्रा

1956	कृषि उत्पाद (विकास एवं वेअरहाउसिंग) अधिनियम पारित हुआ
1957	केंद्रीय भंडारण निगम की सात वेअरहाउसों : अमरावती, गोंदिया, सांगली, देवनगिरी, गडग, बारगढ़, वारंगल के साथ स्थापना
1959	कृषि मंत्रालय के स्थान पर खाद्य मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय बना
1959–60	निगम की स्वयं की क्षमता आरंभ हुई
1962	वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम बना
1965	चेन्नई क्षेत्र अस्तित्व में आया
1966	केंद्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी), विनियम लागू हुए
1966	मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद क्षेत्र की स्थापना की गई
1966–67	पहली बार लाभ अर्जित किया
1968	कीटनाशन विस्तार सेवा योजना शुरू की गई
1969	हैदराबाद में शीतगार की स्थापना हुई एवं दिल्ली तथा अहमदाबाद क्षेत्र बने
1977	लखनऊ क्षेत्र अस्तित्व में आया
1978–79	किसान विस्तार सेवा योजना एवं पालम में एअर कार्गो कॉम्पलेक्स का आरंभ और पटना, चंडीगढ़ तथा भोपाल क्षेत्र बनाए गए
1982	बैंगलूरू क्षेत्र अस्तित्व में आया
1983	समूह ग एवं घ समूह के कर्मचारियों के लिए आईडीए पे–पैटर्न शुरू हुआ
1985	पटपड़गंज, दिल्ली में कंटेनर फ्रेट स्टेशन शुरू हुआ
1986	संशोधित केंद्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम लागू हुए
1989	समूह क एवं ख के पात्र अधिकारियों को आईडीए पैटर्न में रखा गया
1989, 1990, 1991	क्रमशः नवी मुंबई, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी क्षेत्र बनाए गए
1999	मिनी रत्न श्रेणी–1 का दर्जा प्राप्त हुआ और जयपुर तथा पंचकुला क्षेत्र बनाए गए
2000–2001	आईएसओ 9002:1994 प्रमाण–पत्र के लिए पंजीकृत तथा अनुसूची ख निगम के रूप में दर्जा बढ़ा
2002	व्हाइटफील्ड बंगलौर में रेलसाइड वेअरहाउस की स्थापना तथा आईएसओ 14001:2000 प्रमाण–पत्र के लिए पंजीकृत
2003	www.cewacor.nic.in वेबसाइट शुरु हुई तथा आईएसओ 9001:2000 प्रमाण–पत्र के लिए पंजीकृत
2006	आईएसओ 14001:2004 प्रमाण–पत्र के लिए प्रोन्नत
2007	लोनी से जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के बीच पहली कंटेनर फ्रेट गाड़ी का शुभारंभ, स्वर्ण जयंती वर्ष, सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड नाम से सहायक कंपनी का गठन तथा संसद द्वारा वेअरहाउसिंग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2007 पारित
2009	केंद्रीय भंडारण निगम को 23 सितंबर, 2009 को अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' सीपीएसयू में अपग्रेड किया गया।
2013	दिनांक 8 मई, 2013 से आईजीएमआरआई परिसर, हापुड़ में केंद्रीय भंडारण निगम के प्रशिक्षण संस्थान ने कार्य करना आरंभ किया।
2016	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए अखिल भारतीय शील्ड योजना के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण निगम ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया ।
2017	1. केंद्रीय भंडारण निगम ने पहली बार विभिन्न संवर्गों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन भर्ती शुरु करके तथा नियुक्ति के बाद प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण दिलाकर नया उदाहरण प्रस्तुत किया। 2. वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ई–एपीएआर) आरंभ किया तथा इसके सुचारु कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों को इस विषय पर प्रशिक्षित किया गया। 3. भारतीय खाद्य निगम के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) लागू किया गया एवं प्रशिक्षक कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया ।

निगमित कार्यालय में नववर्ष का आयोजन

गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगमित कार्यालय में ध्वजारोहण

गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री जे.एस. कौशल, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम ने निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के परिसर में ध्वजारोहण किया। निगमित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कई अन्य कर्मचारी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस समारोह में शामिल हुए।

खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए वेअरहाउस प्रबंधन पर सार्क राष्ट्रों के लिए आईजीएमआरआई, हापुड़ में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

निगमित कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन

आइकोनिक लीडरशिप इन मैनेजमेंट पुरस्कार

टॉप रैंकर्स द्वारा आयोजित 19वीं राष्ट्रीय प्रबंध शिखर सम्मेलन में निगम के प्रबंध निदेशक श्री जे.एस. कौशल को आइकोनिक लीडरशिप इन मैनेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रबंधन क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया।

आईजीएमआरआई, हापुड़ में राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम

निगम में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

निगमित सामाजिक दायित्व के कार्य

निगमित कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा निगम को नगर स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पुरस्कार

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि का राजभाषा निरीक्षण

निगमित कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिंदी कार्यशाला की झलकियाँ

निगमित कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि

क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला

क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित स्थापना दिवस की झलकियाँ

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि

क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

खेल समाचार

निगम द्वारा आयोजित खेल गतिविधियां

राजीव विनायक*

निगम अपनी विभिन्न खेल गतिविधियों के अलावा खेलों को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में सदैव तत्पर रहता है और खेलों की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। निगम के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न टूर्नामेंट्स में भाग लिया जाता है तथा उनका प्रदर्शन सदैव सराहनीय रहता है। इस तिमाही के दौरान पंजाब स्टेट वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन और केंद्रीय भंडारण निगम के बीच रोमांचक क्रिकेट मैच संपन्न हुआ जिसमें निगम विजेता तथा एसडब्ल्यूसी उपविजेता रहा है। पीएसडब्ल्यूसी के विश्वजीत खन्ना को 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया।

निगम के खिलाड़ियों द्वारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टूर्नामेंट्स में भाग लिया गया और खिलाड़ी बैडमिंटन तथा टेबल–टेनिस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सुश्री कृतिका ने पब्लिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची, जो बेंगलूरू में आयोजित किया गया था।

निगम द्वारा डी.डी.सी.ए. लीग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया। इस लीग में 12 में से 8 मैच जीते गए। खिलाड़ी विमोह राणा द्वारा इस टूर्नामेंट में 2–3 शतक बनाए गए, जिससे निगम को काफी मैचों में सफलता हासिल हुई। शेष खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काफी सराहनीय रहा।

निगम के खिलाड़ी एवं छात्रवृति प्राप्त खिलाड़ी अपने–अपने खेलों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर निगम को गौरवान्वित कर रहे हैं।

निगम द्वारा भविष्य में भी खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया जाता रहेगा। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रबंधन द्वारा सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप निगम खेल–जगत में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखेगा।

निगम के दो अधिकारियों श्री विनय चोपड़ा एवं श्री सुशील टेकचंदानी का दिल्ली से 25वीं वेटरन नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के लिए चयन किया गया था। यह प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई थी जिसमें दिल्ली ने मुंबई को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस महत्वपूर्ण जीत के लिए निगम को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है।

* खेल सचिव, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

- किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए खाद्यान्नों को संजोकर रखना अत्यंत आवश्यक है । खाद्यान्नों का सीधा संबंध मानवीय अस्तित्व से जुड़ा है, अतः खाद्यान्नों का संरक्षण करना आने वाले कल के लिए जरूरी है ।

- केंद्रीय भंडारण निगम पिछले कई वर्षों से उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच में मजबूत कड़ी का काम कर रहा है तथा देश के किसानों को वैज्ञानिक भंडारण की तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराता है ।

- वेअरहाउसिंग सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्राहकों को उसके स्टॉक को समय पर डिपॉजिट करना एवं डिलीवरी देना है तथा वेअरहाउसिंग-कारोबार की सफलता वेअरहाउसों की क्षमता के निरंतर भरपूर उपयोग पर ही निर्भर है ।

- निगम खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण के अतिरिक्त कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, लैंड कस्टम स्टेशन तथा एअर कार्गो कॉम्पलेक्स जैसी लॉजिस्टिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है ।

- निगम अपनी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है तथा इससे किसानों की खुशहाली में स्थिरता आई है और पूरे देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है ।

- कृषि एवं औद्योगिक कार्यकलापों के क्षेत्र में वेअरहाउसिंग एक महत्वपूर्ण घटक है । विकासशील अर्थव्यवस्था में वेअरहाउसिंग प्रणाली का विशेष महत्व है जो उत्पादन के लिए सुरक्षित वैज्ञानिक भंडारण प्रदान कर सकता है ।

- निगम ग्राहकों के स्टॉक का स्वामी नहीं है बल्कि यह एक अभिरक्षक और अमानतदार के रूप में कार्य कर रहा है तथा वैज्ञानिक भंडारण की दिशा में आज कीटनाशन सेवाओं एवं प्रधूमन कार्य की व्यवस्था पर भंडारित माल का परिरक्षण किया जाता है ।

- मूल्य नियंत्रण के लिए भंडारण व्यवस्था का विशेष महत्व है। जन-जन के लिए आधुनिक भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक ही नहीं बल्कि देश की समृद्धि के लिए भी उपयोगी है ।

- देश में खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और उनकी आपूर्ति करने सहित भंडारण की वैज्ञानिक तकनीक के विकास में भी निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

देश के विभिन्न राज्यों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय

433 वेअरहाउसों का नेटवर्क

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली-110 016